झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचम् सत्र

वर्ग-03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, बुधवार,दिनांक- 19 फाल्गुन,1937 (श0) / 09 मार्च , 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
1009	पेय-60	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	पेयजलापूर्ति कराना	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
1010	ग्राम-38	श्री आलोक कु0 चौरसिया	आवास का निर्माण	ग्रामीण वि0	12.02.16
1011	पेय-68	श्री ढुलू महतो	पेयजलापूर्ति करना	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
1012	परि-16	श्री मनीष जायसवाल	पुलिस अधीक्षक की पदस्थापन	परिवहन	25.02.16
1013	पथ-59	श्री बिरंची नारायण	एक्सीडेंट पाइंट्स को खत्म करना	पथ निर्माण	22.02.16
1014	ग्राम-99	श्री मनोज कुमार यादव	भवन का निर्माण	ग्रामीण वि0	14.02.16
1015	पथ-24	श्री निरल पुरती	पथ का चौड़ीकरण	पथ निर्माण	12.02.16
1016	न0-46	श्री चम्पाई सोरेन	पदाधिकारियों को दंडित करना	नगर विकास	25.02.16
1017	परि-18	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	चालक केन्द्र की स्थापना	परिवहन	29.02.16
1018	ग्राम-141	श्री आलमगीर आलम	राशि में वृद्धि करना	ग्रामीण वि0	25.02.16
1019	पथ-73	श्रीमती विमला प्रधान	मिट्टी को हटाना	पथ निर्माण	01.03.16
1020	भ0-12	श्री राजकुमार यादव	आवासीय भवन का निर्माण	भवन निर्माण	01.03.16
1021	ग्राम-140	श्री अरूप चटर्जी	समुचित कार्रवाई करना	ग्रामीण वि0	25.02.16

कृ0पृ030/-....

1022	पेय-66	श्री शिवशंकर उराँव	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
1023	ग्राम-55	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	पुल का निर्माण	ग्रामीण वि0	12.02.16
1024	पेय-65	श्री रामचन्द्र सहिस	साफ-सफाई की व्यवस्था	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
1025	पेय-74	श्री नागेन्द्र महतो	कार्य को पूर्ण करना	पेयजल एवं स्वच्छता	29.02.16
1026	ग्राम-121	श्रीमती गीता कोड़ा	पुल का निर्माण	ग्रामीण वि0	17.02.16
1027	ग्राम-133	श्री दीपक बिरूआ	पथ का निर्माण	ग्रामीण वि0	22.02.16
1028	पथ-72	श्री शशिभूषण सामाड़	सड़क का निर्माण	पथ निर्माण	29.02.16
1029	ग्राम-158	श्री डॉ0 जीतू चरण राम	प्रखण्ड का निर्माण	ग्रामीण वि0	25.02.16
1030	पथ-66	श्री रामचन्द्र सहिस	सड़क का निर्माण	पथ निर्माण	25.02.16
1031	पथ-52	श्रीमती गीता कोड़ा	निर्माण कार्य प्रारंभ करना	पथ निर्माण	17.02.16
1032	पथ-50	श्रीमती निर्मला देवी	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	17.02.16
1033	ग्राम-89	डॉ0 इरफान अंसारी	पथ की मरम्मति	ग्रामीण वि0	14.02.16
1034	ग्राम-27	श्रीमती जोबा मांझी	पुलिया का निर्माण	ग्रामीण वि0	12.02.16
1035	ग्राम-41	श्री कुणाल षड़ंगी	सड़क की मरम्मति	ग्रामीण वि0	25.02.16
1036	पेय-23	श्री ताला मराण्डी	जलमीनार का निर्माण	पेयजल एवं स्वच्छता	14.02.16
1037	ग्राम-162	श्री शशिभूषण सामाड़	पुल का निर्माण	ग्रामीण वि0	29.02.16
1038	पेय-73	श्री राजकुमार यादव	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	पेयजल एवं स्वच्छता	29.02.16
1039	ग्राम-79	श्री राम कुमार पाहन	संवेदक पर कार्रवाई	ग्रामीण वि0	14.02.16
1040	पथ-67	श्री योगेन्द्र प्रसाद	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	25.02.16
1041	ग्राम-107	श्री नलिन सोरेन	पुल का निर्माण	ग्रामीण वि0	16.02.16
1042	पथ-03	श्री जगरनाथ महतो	विभाग को बदलना	पथ निर्माण	12.02.16
1043	ग्राम-168	श्रीमती निर्मला देवी	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	ग्रामीण वि0	29.02.16
1044	पथ-38	डॉ0 इरफान अंसारी	कार्य पूर्ण करना	पथ निर्माण	14.02.16
1045	पथ-41	श्री अशोक कुमार	प्रोन्नति पर विचार	पथ निर्माण	14.02.16
1046	पथ-53	डॉ0 जीतू चरण राम	पथों का निर्माण	पथ निर्माण	17.02.16
1047	पेय-62	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	जलापूर्ति सुनिश्चित कराना	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
1048	पेय-75	श्री नलिन सोरेन	समस्या से निजात दिलाना	पेयजल एवं स्वच्छता	02.03.16
1049	न0-17	श्री पौलुस सुरीन	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	नगर विकास	14.02.16
1050	पेय-32	श्री मनोज कु0 यादव	योजना की स्वीकृति	पेयजल एवं स्वच्छता	14.02.16
1051	ग्राम-163	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	कानूनी कार्रवाई करना	ग्रामीण वि0	29.02.16
1052	ग्राम-153	श्री नागेन्द्र महतो	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	ग्रामीण वि0	25.02.16

कृ0पृ030/-

1053	ग्राम-05	श्री अशोक कुमार	पुलिया का निर्माण	ग्रामीण वि0	12.02.16
1054	ग्राम-111	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	निर्माण कार्य पूर्ण करना	ग्रामीण वि0	16.02.16
1055	पथ-68	श्री हरिकृष्ण सिंह	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	25.02.16
1056	पेय-57	श्री आलमगीर आलम	चापाकल की मरम्मति	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
1057	पथ-04	श्री जगरनाथ महतो	विभाग परिणत करना	पथ निर्माण	12.02.16
1058	पेय-64	श्री नवीन जयसवाल	पेयजलापूर्ति करना	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
1059	ग्राम-91	श्री फूलचन्द मंडल	पुलों का निर्माण	ग्रामीण वि0	14.02.16
1060	ग्राम-88	श्री फूलचन्द मंडल	पुल का निर्माण	ग्रामीण वि0	14.02.16
1061	न0-47	श्री चम्पाई सोरेन	जमीन मुक्त करना	नगर विकास	25.02.16
1062	परि-06	श्री कुणाल षड़ंगी	कार्य आरंभ करना	परिवहन	12.02.16
1063	ग्राम-151	श्री योगेन्द्र प्रसाद	अनिवार्यता समाप्त करना	ग्रामीण वि0	25.02.16
1064	ग्राम-159	श्री प्रकाश राम	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	ग्रामीण वि0	29.02.16
1065	पथ-55	श्री सुखदेव भगत	निर्माण कार्य प्रारम्भ करना	पथ निर्माण	18.02.16
1066	ग्राम-127	श्री सुखदेव भगत	पुलों का निर्माण	ग्रामीण वि0	18.02.16
1067	पथ-60	श्री अमित कुमार	सड़क का निर्माण	पथ निर्माण	22.02.16
1068	ग्राम-73	श्री राम कुमार पाहन	पुनः टेंडर कराना	ग्रामीण वि0	14.02.16
1069	ग्राम-157	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	विभागीय जाँच कराना	ग्रामीण वि0	25.02.16
1070	ग्राम-130	श्री दशरथ गागराई	पुलिया का निर्माण	ग्रामीण वि0	22.02.16
1071	ग्राम-134	श्री दीपक बिरुआ	पथ का निर्माण	ग्रामीण वि0	22.02.16
1072	ग्राम-144	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	पुल का निर्माण	ग्रामीण वि0	25.02.16
1073	पथ-23	श्री निरल पुरती	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	10.02.16
1074	पेय-34	श्री योगेश्वर महतो	नीतिगत निर्णय पर विचार	पेयजल एवं स्वच्छता	16.02.16
1075	पथ-63	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	वैकल्पिक व्यवस्था करना	पथ निर्माण	25.02.16
1076	ग्राम-165	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	मुआवजा का भुगतान	ग्रामीण वि0	29.02.16
1077	पथ-44	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	सड़क का चौड़ीकरण	पथ निर्माण	16.02.16
1078	न0-45	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	नगर पंचायत बनाना	नगर विकास	25.0216
1079	पेय-47	श्री केदार हजरा	पेयजलापूर्ति कराना	पेयजल एवं स्वच्छता	17.02.16
उत्तर मुद्रित 1080	भ0-11	श्री दशरथ गागराई	जीर्णोद्धार पर विचार	भवन निर्माण	22.02.16
1081	न0-40	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	अधिसूचना निर्गत कराना	नगर विकास	22.02.16
1082	ग्राम-150	श्री केदार हजरा	कार्य पूर्ण कराना	ग्रामीण वि0	25.02.16
1083	ग्राम-164	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पथ का निर्माण	ग्रामीण वि0	29.02.16
1084	न0-53	श्री अरुप चटर्जी	नदियों को स्वच्छ रखना	नगर विकास	03.03.16
1085	ग्राम-26	श्रीमती जोबा मांझी	सड़क की मरम्मति	ग्रामीण वि0	12.02.16

1086	ग्राम-31	श्री योगेश्वर महतो	मोरम का उपयोग कराना	ग्रामीण वि0	12.02.16
1087	ग्राम-36	श्री बिरंची नारायण	आवागमन चालू कराना	ग्रामीण वि0	12.02.16
1088	न0-10	श्री आलोक कु0 चौरसिया	गरीबों को आवासित करना	नगर विकास	12.02.16
1089	ग्राम-80	श्री जानकी प्रसाद यादव	पुल को पूर्ण करना	ग्रामीण वि0	14.02.16
1090	परि-17	श्री मनीष जायसवाल	बसों का परिचालन	परिवहन	25.02.16
1091	पेय-53	श्री अमित कुमार	जलापूर्ति कराना	पेयजल एवं स्वच्छता	22.02.16
1092	ग्राम-81	श्री जानकी प्रसाद यादव	पुल का निर्माण	ग्रामीण वि0	14.02.16
1093	ग्राम-84	श्री पौलुस सुरीन	पुल का निर्माण	ग्रामीण वि0	14.02.16
1094	न0-51	श्री ताला मराण्डी	नाली का निर्माण	नगर विकास	29.02.16

रॉंची,
दिनांक-09 मार्च,2016 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या प्रश्न-05/15- 2069 /वि0स0,रॉंची,दिनांक-06 मार्च,2016 ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.16

(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या प्रश्न-05/15- 2069 /वि0स0,रॉंची,दिनांक-06 मार्च,2016 ई0।

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

06.03.16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या प्रश्न-05/15- 2069 /वि0स0,रॉंची,दिनांक-06 मार्च,2016 ई0।

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति/ शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

06.03.16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

शंकर/-

09/03/16

माननीय विधायक श्री रबीन्द्रनाथ महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय0–60 का उत्तर

क्र.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत फतेहपुर में संचालित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना सुचारू रूप से संचालित नहीं है;	अस्वीकारात्मक। फतेहपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा लाभुकों को सुचारु रुप से जलापूर्ति की जा रही है। योजना VWSC को हस्तांतरित है। योजना जनवरी 2010 से संचालित है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित ग्राम दुर्गा मंदिर से लेकर गोस्वामी टोला तक के बीच में पाईपों में हुई गड़बड़ी के कारण लगभग एक वर्ष से लाभुकों के बीच जलापूर्ति नहीं हो पा रही है;	दुर्गा मंदिर से लेकर गोस्वामी टोला तक पाईप जाम हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है। यह कार्य VWSC द्वारा किया जाना है। VWSC के सहयोग से इसे ठीक किया जायेगा। फतेहपुर ग्राम की कुल आबादी 4107 है। कुल नलकूप की संख्या–38 चालू नलकूप की संख्या–32 128 की आबादी पर 1 नलकूप है जो राष्ट्रीय मानक के अनुरुप पर्याप्त है।
3	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थान का पाईप तथा अन्य यंत्रों में हुई गड़बड़ी को मरम्मति कर लाभुकों के बीच पेय जलापूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/वि0स0(ता0)–22/2016 (पेय0) – 466/SWSM दिनांक 8/3/16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 1508 वि0स0 दिनांक 25.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/वि0स0(ता0)–22/2016 (पेय0) – 466/SWSM दिनांक 8/3/16

प्रतिलिपि: अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
अवर सचिव

1010

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–38 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्रों में सामान्य जाति के अत्यधिक गरीब तथा निर्धन व्यक्ति जिनका बी0पी0एल0 नहीं है वैसे लोगों को इंदिरा आवास के लिए सरकार द्वारा कोई मापदण्ड तैयार नहीं किया गया है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खंण्ड–1 उल्लेखित विषयों पर वैसे गरीब व्यक्तियों को आवास के लिए आवंटन का प्रावधान किया गया है।	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामान्य जाति के गरीब व्यक्ति जो (बी0पी0एल0 संख्या से वंचित) है के लिए भी आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	इंदिरा आवास योजना के मार्गदर्शिका में बी0पी0एल0 धारी परिवारों को ही इंदिरा आवास दिए जाने का प्रावधान किया गया है। विशेष परिस्थिति में मैला ढोने वाले व्यक्तियों के परिवार, सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए सेना /पैरामिलिट्री/पुलिस बल कर्मियों की विधवाओं एवं निकट संबंधी को इंदिरा आवास उपलब्ध कराने हेतु बी0 पी0 एल0 में छूट दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 1333 दिनांक 08.3.16

ग्रा0वि0 08–वि0स0–14/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–620/वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2016

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 1333 दिनांक 08.3.16

ग्रा0वि0 08–वि0स0–14/2016

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2016

सरकार के अवर सचिव।

1011

माननीय विधायक श्री ढुलू महतो, स० वि० स० द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० – पेय 68 का उत्तर

क्र० सं०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिंफर द्वारा पीट वाटर को पेयजल में उपयोग हेतु शोध कर तकनीकी इजाद की गई है जिसे पी०एम०ओ० द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है और इसका पायलट प्रोजेक्ट पुटकी में चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन 4000 लीटर पानी शुद्ध हो रहा है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि इस तकनीकी का इस्तेमाल करने से खनन क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का निदान हो सकता है और अन्य तकनीकी के अपेक्षा यह काफी सस्ता भी है;	वस्तुस्थिति यह है कि यह पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी तकनीक/व्यय ईत्यादि की जानकारी नहीं दी गई है। इस संबंध में कोई मंतव्य गठित करना सम्भव नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिंफर द्वारा ईजाद की गई तकनीकी से खनन् क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यो?	पायलेट प्रोजेक्ट के फलाफल की जानकारी पब्लिक डोमेन में आने पर ही कोई निर्णय लेना सम्भव होगा। अद्यतन कोई कार्रवाई सम्भव नहीं है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/वि० स० (ता०)–21/2016 (पेय०)– 447/SWSM – राँची, दिनांक 3.3.16

प्रतिलिपि: झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक प्र० सं० 1504 वि० स०, राँची दिनांक 25.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक:–8/वि० स० (ता०)–21/2016 (पेय०) – 447/SWSM राँची, दिनांक 3.3.16

प्रतिलिपि:–अवर सचिव (प्र० – 5) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

1013

मा0, स0वि0स0, श्री विरंची नारायण द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 59 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि सरकार ने झारखण्ड की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों के आलोक में राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथों पर कुल 167 एक्सीडेंट पॉइंट्स चिन्हित किये हैं, जिसमें से 85 तीखे मोड़, 43 पहाड़ी क्षेत्रों के अंधे मोड़, 16 संकरे पुल एवं 23 स्थल सड़क निर्माण के स्थापित मानकों के अनुरूप निर्माण नहीं (इनसफीसियेंट ग्रैडियेंट) होने के कारण हैं ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि सर्वाधिक खतरनाक एक्सीडेंट पॉइंट्स रामगढ़, कोडरमा और धनबाद में स्थित हैं एवं इन 167 एक्सीडेंट पॉइंट्स के कारण हर वर्ष औसतन करीब 5000 दुर्घटनाएं होती हैं और करीब 2600 जानें जाती हैं ;	दुर्घटना की संख्या एवं इनके कारण जान माल की क्षति की जानकारी पथ निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है ।
3. क्या यह बात सही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति को भी उक्त आशय की रिपोर्ट भेजी है ;	स्वीकारात्मक ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में कमी जाने हेतु उक्त खतरनाक एक्सीडेंट पॉइंट्स को खत्म करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित करते हुए चरणबद्ध तरीके से इनके निराकरण किये जाने का कार्यक्रम है । प्रथम चरण में 25 पथ प्रमंडलों अन्तर्गत विभिन्न दुर्घटना संभावित स्थानों के निराकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 11.30 करोड़ रूपये की कार्य योजना स्वीकृत की गई है । इन कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–66 / 2016 1569(5) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1355 दिनांक 22.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

पी० मुर्मू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–66 / 2016 1569(5) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

पी० मुर्मू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1014

दिनांक–09.03.2016 को श्री मनोज कुमार यादव, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–99

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत चंदवारा प्रखण्ड परिसर निर्माण काल से ही चाहरदीवारी एवं अधिकारी तथा कर्मचारी आवासीय भवन विहीन है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि चाहरदीवारी एवं आवासीय भवन नहीं रहने से आम जनों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक चन्दवारा (कोडरमा) प्रखण्ड कार्यालय से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं को आम जनो तक पहुँचाया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब खण्ड (1) में वर्णित चाहरदीवारी एवं आवासीय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रखण्डों के अन्तर्गत आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में अपेक्षित बजटीय उपबंध नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में अपेक्षित बजटीय उपबंध प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–1–वि0स0–09 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1326 राँची, दिनांक– 08·3·16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–813 दिनांक–14.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1–वि0स0–09 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1326 राँची, दिनांक– 08·3·16

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/16

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1–वि0स0–09 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1326 राँची, दिनांक– 08·3·16

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–4 को उत्तर सामग्री की 200 प्रतियाँ विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ।

8/3/16

सरकार के अवर सचिव।

1015

दिनांक 09.03.2016 को माननीय स०वि०स० श्री निरल पुरती द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पथ – 24

	प्रष्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री निरल पुरती, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत कुमारडुँगी एवं हाटगम्हरिया प्रखंड क्षेत्र के धनसारी मुख्यपथ से आमड़ा होते हुए तिरिलपी पडुसा जैतगढ़ मुख्य पथ तक पथ काफी जर्जर अवस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2..	क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित पथ परमहँसदा–अन्धारी धनसारी पथ को पड़सा जैतगढ़ पथ से जोड़ती है एवं अंतर राज्य उड़ीसा को भी जोड़ती है;	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में खण्ड–। में वर्णित धनरासी मुख्य पथ से आमड़ा होते हुए तिरिलपी तक पथ चौड़ीकरण सुदृड़ीकरण करने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रसंगाधीन पथ की लम्बाई 5.10 कि०मी० है जिसमें से पी०एम०जी०एस०वाई० षष्टम अन्तर्गत गितिलपी से धनसारी 4.80 कि०मी० का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसका Routine Maintenance अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन पथ लगभग ठीक है। शेष 0.30 कि०मी० ग्रेड–। पथ है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांकः–05 (वि०स०–12)–409/16 ग्रा०का०वि० 1224 राँची/दिनांक– 05-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक 602 दिनांक–12.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–05 (वि०स०–12)–409/16 ग्रा०का०वि० 1224 राँची/दिनांक– 05.3.16

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–05 (वि०स०–12)–409/16 ग्रा०का०वि० 1224 राँची/दिनांक– 05-3-16

प्रतिलिपि–प्रषाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची/विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

10/6

श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–46 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा आवास बोर्ड का गठन जनता को सस्ते दर पर आवास एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु की गई है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के जमशेदपुर प्रमंडल के जिला–सरायकेला खरसांवा अन्तर्गत आदित्यपुर में बड़े–बड़े बिल्डरों एवं मॉल निर्माताओं को सस्ते दर पर भूखण्ड नियम के विरूद्ध आवंटन कराया गया है ;	अस्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित बड़े–बड़े बिल्डरों निर्माताओं को दिये गये भूमि का आवंटन रद्द करते हुए दोषी पदाधिकारियों को दण्डित करना चाहती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। सरकार द्वारा संयुक्त सहभागिता के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों का आवंटन रद्द किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–07 / वि०स०–आ०–06 / 2016 1271 / राँची, दिनांक– 05/03/16 /

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या प्र०–1495 / वि०स० दिनांक–25.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05.03.16

सरकार के अवर सचिव।

1017

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 09–03–2016 को श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–18 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी माननीय स०वि०स०		*उत्तर* माननीय श्री सी० पी० सिंह मंत्री परिवहन, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में चालकों के सघन प्रशिक्षण हेतु एक भी सरकारी आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है;	–	स्वीकारात्मक है
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में लाखों ट्रक/हाइवा एवं अन्य भारी मोटरयान (निबंधित) संचालित है;	–	राज्य में फरवरी, 2016 तक राज्य गठन से पूर्व तथा राज्य गठन के पश्चात् कुल 149488 भारी वाहन निबंधित है।
3	क्या यह बात सही है कि कुशल भारी वाहन चालक के अनुपलब्धता के कारण राज्य में प्रतिदिन दर्जनों लोग सड़क दुघटना में घायल/मारे जाते है;	–	इस संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वर्त्तमान में राज्य में भारी वाहन चालक हेतु विधिवत् आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार चालक अनुज्ञप्ति निर्गत किये जा रहे है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब सरकारी आवासीय वाहन चालक केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?		जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के साथ PPP Mode में भारत सरकार की योजनान्तर्गत IDTR (Institute of Driver Training & Research) स्थापित करने की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों में भी PPP Mode पर चालक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

ह०/–
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०)–65/2016 413 **/राँची,दिनांक** 08-03-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्रांक–1772 दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

8/3/16
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग

16.12.2015

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–141 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या बात सही है त्रिस्तरीय पंचायत के अन्तर्गत राज्य के सभी निर्वाचित मुखिया को प्रत्येक माह एक हजार रूपया मानदेय दिया जा रहा है, जो बहुत कम है ?	(1) झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य (भत्ता भुगतान नियमावली 2011 के प्रावधानो के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया को 1000/रूपये नियत (प्रति माह) भत्ता का प्रावधान किया गया है ।
(2)) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के सभी निर्वाचित मुखिया के मानदेय की राशि में वृद्धि का विचार रखती है, यदि है, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	(2) सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–01 स्था0–(वि0)–91/2016–812–/, राँची, दिनांकः– 8.3.16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1520 दिनांक 25.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01 स्था0–(वि0)–91/2016–812–/, राँची, दिनांकः– 8.3.16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01 स्था0–(वि0)–91/2016–812–/, राँची, दिनांकः– 8.3.16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

1019

मा0, स0वि0स0, श्रीमती विमला प्रधान द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 73 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा मुख्यालय से NH एक महत्वपूर्ण पथ है जो आगे जाकर अन्तर्राज्यीय मार्ग को जोड़ता है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा नगर क्षेत्र के मार्ग के दोनों ओर मिट्टी का काफी जमाव होने के कारण आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें प्रदूषित वातावरण में साँस लेने को मजबूर होना पड रहा है ;	अस्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आवागमन के लिए सुगम वातावरण निर्माण यथा मार्ग के दोनों ओर से मिट्टी आदि हटाना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–23 के कि0मी0 169 से कि0मी0 173 तक सिमडेगा नगर क्षेत्र में यातायात सुगम है तथा मार्ग के दोनों ओर फ्लैंक की स्थिति अच्छी है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–82/2016 1582(3) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1866 दिनांक 01.03.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–82/2016 1582(3) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1020

श्री राजकुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09/03/2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–12 का उत्तर सामग्री –

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के धनवार प्रखण्ड अन्तर्गत खोरी – महुआ को अनुमण्डल बनाया गया है।	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि अनुमण्डल कार्यालय का सभी कार्यालय खोरी–महुआ प्राथमिक विद्यालय में चल रहा है।	स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अनुमण्डल का कार्यालय व कर्मचारियों के आवास अब नहीं बनाया गया है।	स्वीकारात्मक
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खोरी–महुआ अनुमण्डल का कार्यालय भवन व कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	सरकार द्वारा धनवार प्रखण्ड अन्तर्गत अनुमंडल कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण कार्य करने की कार्रवाई की जा रही है। खोरी–महुआ में अनुमंडल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कलन प्राप्त है। पूर्व में उक्त कार्यालय हेतु उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक–2429/रा. दिनांक–31/08/15 द्वारा मौजा झलकडीहा अंतर्गत 9.5 एकड़ गै0 खास जंगल झाड़ी किस्म की भूमि उपलब्ध कराई गई थी। पुनः उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक–1895/गो. दिनांक–17/12/15 द्वारा पूर्व में चयनित भूमि के पहुँच हेतु 400 मीटर रैयती भूमि को पार करने की सूचना दी गई है, जिसके कारण वर्तमान में डोमायडीह में चयनित 10.65 एकड़ भूमि को ज्यादा उपयुक्त बताया गया है एवं उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक–312/रा. दिनांक–05/02/16 द्वारा डोमायडीह में चयनित भूमि को रैयती नहीं होने की सूचना देते हुए उसकी अनुशंसा की गई है। वर्त्तमान में अनुमंडल कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्राप्त प्राक्कलन पूर्व में चिन्हित भूमि (झलकडीहा) से संबंधित है। अतएव नये साईट अर्थात डोमायडीह स्थित चिन्हित भूमि की मिट्टी जॉच कर उक्त भूमि के हिसाब से संशोधित प्राक्कलन समर्पित करने का निदेश मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची को दिया गया है। वर्तमान में प्रस्तावित भूमि की सीमांकन हेतु भवन प्रमंडल, गिरिडीह के पत्रांक 278(अनु0) दिनांक 02/03/2016 के द्वारा अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह को उक्त स्थल का सीमांकन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, ताकि इस योजना का क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। अप्रैल 2016 तक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी। तदोपरांत विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः–भ03–विधायी–(ता0प्र0)–22/2016 - 720(भ) राँची, दिनांक 08-3-16

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1867 दिनांक–01/03/2016 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों (दो सौ प्रतियों) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/16
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः–भ03–विधायी–(ता0प्र0)–22/2016 - 720(भ) राँची, दिनांक 08-3-16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग को विधान सभा स्थित कार्यालय कोषांग/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को पाँच–पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/16
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

F:\Vishwa Jeet Office Work\Official Letter Op\Draft-1\Harender Sir\Question Answer Letter.docx

1021

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–140 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(i) क्या बात सही है त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचित मुखिया को एक निश्चित मानदेय मिलता है, जबकि इसी प्रकार के निर्वाचन से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य को किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिलता है, ?	अस्वीकारात्मक। मुखिया को 1000/– तथा ग्राम पंचायत सदस्य को 200/रूपये मानदेय की राशि का प्रावधान किया गया है । साथ ही पंचायत समिति संदस्य को 750/– रूपया मानदेय की राशि का प्रावधान किया गया है ।
(ii) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त विषय के संबंध में समुचित कार्रवाई का विचार रखती है, यदि है, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	(ii) उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–01 स्था0–(वि0)–90/2016–––––813–––––/, राँची, दिनांकः– 8·3·16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1521 दिनांक 25.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01 स्था0–(वि0)–90/2016–––––813–––––/, राँची, दिनांकः– 8·3·16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01 स्था0–(वि0)–90/2016–––––813–––––/, राँची, दिनांकः– 8·3·16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

1022

माननीय विद्यायक श्री शिवशंकर उरॉव सदस्य झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय– 66 का उत्तर ।

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1.	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला में बिशुनपुर प्रखण्ड के कई गॉवों में असुर जनजाति के लोग निवास करते हैं और वे पेयजल संकट का सामना लम्बे समय से कर रहे है;	वस्तु स्थिति यह है कि गुमला जिला में विशुनपुर प्रखण्ड के कुल 44 ग्रामों/टोलों में असुर जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन सभी ग्रामों की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 6535 है, जिसमें कुल 85 अदद ड्रील्ड नलकूप तथा 10 अदद सरकारी कूप निर्मित हैं। सरकारी मानक 150 व्यक्ति पर एक स्त्रोत की संख्या के आधार पर सभी ग्राम टोला पूर्ण रूप से आच्छादित है। वर्तमान में कुल 74 अदद ड्रील्ड नलकूप चालू है। शेष की मरम्मति हेतु निविदा की गयी है। निविदा निष्पादित कर शीध्र जलापूर्ति प्रारंभ कर दी जायेगी। वित्तिय वर्ष 2015– 16 में विशुनपुर प्रखण्ड अर्न्तगत (i) बनालात एक्शन प्लान के तहत कुल 62 अदद लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति की योजना स्वीकृत है। जो निविदा की प्रक्रिया में है। (ii) आदर्श ग्राम के तहत विशुनपुर प्रखण्ड के चेंगरी नावाटोली में एक अदद लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना निर्माणाधीन है, जो वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण हो जायेगा। (iii) विशुनपुर प्रखण्ड मुख्यालय में एक पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना चालु है। जिसमें गृह संयोजन की संख्या –42 है इस योजना के पुनर्गठन हेतु परामर्शी नियुक्त किया गया है। परामर्शी द्वारा DPR तैयार किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि 2012 में बिशुनपुर के असुर बहुल पोलपोल पाट गॉव को मॉडल विलेज बनाने की घोषणा प्रशासन ने की थी पर इस दिशा में कोई कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है।	विशुनपुर प्रखण्ड अर्न्तगत असुर बहूल पोलपोट गॉव को माडल विलेज बनाने सम्बन्धी काय जिला प्रशासन द्वारा किया जाना है, जो इस विभाग से सम्बन्धित नही है। जहॉ तक उक्त गाम में पेयजलापूर्ति का प्रश्न है, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में ग्राम पोल पाट में आई0 ए0 पी0 के तहत जलापूर्ति योजना हेतु मो0 19,98,400.00 लाख रू0 की योजना स्वीकृत है। कई बार निविदा करने के बावजूद निविदाकारों द्वारा भाग नहीं लियें जाने के कारण जिला प्रशासन के आदेशानुसार योजना स्थगित कर दी गई है। पूरे प्रखण्ड की स्थिति इस प्रकार है– विशुनपुर प्रखण्ड में कुल 63 अदद राजस्व ग्राम है। जिसकी जनसंख्या 2011 के जनगणना के आधार पर 62319 है। उक्त ग्रामों/टोलों में कुल 1047 अदद नलकुप एवं 26 अदद कुप कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 9 अदद लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना कार्यरत है। जो राष्ट्रीय मानक से काफी अधिक है। पोलपोट ग्राम में पाईप जलापूर्ति का कार्यान्वयन किया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशुनपुर प्रखण्ड के लिए पेयजल स्कीम बनाने और लापरवाही के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है यदि हॉ तो कब तक , नही तो क्यो?	कंडिका 1 और 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–7 / ता0 प्र0–01–49 / 2015– 1105 राँची, दिनांक– 4/3/16

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापं संख्या प्र0 –1505 दिनांक – 25.02.2016 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–7 / ता0 प्र0–01–49 / 2015– 1105 राँची, दिनांक– 4/3/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, प्रशाखा–05 पेयजल स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

04/03/16

1023

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–55

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि जिला चतरा अंतर्गत निलांजन, धोय एवं मोरहर नदी पर पुल का निर्माण नहीं कराया गया है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि ग्राम–शेरपुर, सिन्दुवारी, दुधौरी, चिलाई, चेतमा, वेतगडा, बनियाडीह, डाहू एवं पिंजा प्रखण्ड मुख्यालय से जोड़ने वाली पुल है ;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है तीनों नदी में पुल निर्माण नहीं होने के कारण जनता को वर्षा के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुथिति यह है कि प्रश्नगत प्रस्तावित पुल स्थल के Up-Stream Side में तथा Down-Stream Side में पुल पहले से बना हुआ है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निलांजन, धोय एवं मोरहर नदी में पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल चतरा जिला अन्तर्गत सदर प्रखण्ड में पंचायत–सिकिद, ग्राम–राजगुरूवा में जाम नदी में पुल निर्माण कार्य की डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 44/2016/ग्रा0का0 1232 राँची, दिनांक : 08-3-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–616 वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन) 3/16

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 44/2016/ग्रा0का0 1232 राँची, दिनांक : 08-3-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 44/2016/ग्रा0का0 1232 राँची, दिनांक : 08-3-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

1024

श्री रामचन्द्र सहिस, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–09.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–65 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर प्रखण्ड अन्तर्गत गोविन्दपुर, गधड़ा, सरजामदा, कालीमाटी एवं परसुडीह क्षेत्र अर्द्धशहरी का स्वरूप होने के बावजूद पंचायत क्षेत्र में आता है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उल्लेखित क्षेत्रों में साफ–सफाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं ;	पंचायत (ग्रामीण) क्षेत्र होने के कारण उल्लेखित क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा साफ–सफाई की व्यवस्था नहीं की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोविन्दपुर गधड़ा, सरजामदा, कालीमाटी एवं परसुडीह क्षेत्र में नियमित साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / न0वि0 (तारांकित)–54 / 2016.1299./ राँची, दिनांक :– 8.3.16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1503, दि0–25.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
08/3/16

U.D.D. Hall :/E:/Munni/Letter/Bidhan Sabha -Mu- 179

1025

माननीय विधायक श्री नागेन्द्र महतो, स॰ वि॰ स॰ द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं॰ – पेय 74 का उत्तर

क्रम सं॰	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य में 34 लाख शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि बेसलाईन सर्वे 2012 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण का शेष लक्ष्य 33,28,041 है, जिसके विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2015–16 का लक्ष्य 3,00,000 है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित लक्ष्य के विरूद्ध राज्य में मात्र–3 लाख शौचालयों का ही निर्माण हो पाया है;	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लक्ष्य 3.00 लाख शौचालय निर्माण के विरूद्ध अब तक 2.51 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के लिए निर्धारित शौचालयों का निर्माण निहित समय–सीमा के तहत पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शेष 30 लाख लक्ष्य के विरूद्ध अगले वर्ष 2016–17 में 6.5 लाख, 2017–18 में 10 लाख, 2018–19 में 11 लाख एवं 2019–20 में 2.5 लाख शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। कतिपय अन्य स्रोतो से एवं जागरूकता के कारण स्वप्रेरणा से सक्षम परिवार द्वारा शौचालय निर्माण होने से संख्या में सतत कमी आ रही है। 2) बेसलाईन सर्वे के पुनः सत्यापन में 10–15 % परिवार द्वारा गत चार वर्ष में स्वतः शौचालय निर्माण होने के कारण सघन सर्वेक्षण में संख्या घट रही है। 3) कतिपय ग्रामीण क्षेत्र नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर निकाय में शामिल किया जा रहा है। इस तरह लक्ष्य में कमी आ रही है। 4) मनरेगा (MNREGA) के तहत् भी शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। 5) माननीय विधायक कोष तथा 14वें वित्त आयोग के तहत भी आच्छादन प्रारम्भ किया जा रहा है।

झारखंड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: SBM (G)/वि॰ स॰ प्र॰ –47/3/2016 – 321 राँची, दिनांक 08-03-16

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं॰ प्र॰ 1814 वि॰ स॰, राँची दिनांक 29.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक:– SBM (G)/वि॰ स॰ प्र॰ –47/3/2016 – 321 राँची, दिनांक 08-03-16

प्रतिलिपि:–अवर सचिव (प्र॰ – 5) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

1026

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–121

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अंन्तर्गत प्रखण्ड टोन्टो के ग्राम– टेन्सरा, टेन्सरा नदी में विशेष प्रमण्डल चाईबासा, कार्यपालक अभियंता कार्यालय द्वारा निविदा निकाल कर वित्तीय वर्ष 2010–11 में पुल का कार्य प्रारम्भ किया गया है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है टेन्सरा नदी का विशेष प्रमण्डल चाईबासा द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में निविदा करने के बाद भी अब तक कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ;	वस्तु स्थिति यह है कि संवेदक के कार्य का विखण्डन कर दिया गया है, एवं अग्रधन जमानत की राशि कोषागार में जमा करा दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निविदा के आधार पर टेन्सरा नदी में शीघ्र पुल निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं, तो क्यों ?	अवशेष कार्य का डी0पी0आर0 प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 86 / 2016 / ग्रा0का0 1229 राँची, दिनांक : 05-3-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1112 वि0स0 दिनांक 17.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 86 / 2016 / ग्रा0का0 1229 राँची, दिनांक : 05-3-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 86 / 2016 / ग्रा0का0 1229 राँची, दिनांक : 05-3-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित 1027
प्रश्न सं0–ग्राम–133 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत खुंटपानी प्रखण्ड के बड़ा लगिया पंचायत में चार चौक से ग्राम–तिलैयसूड होते हुए ग्राम रोरो तक 08 कि0मी0 सड़क अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ जर्जर होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों का अवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त पथ का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–356 / 16 ग्रा0का0वि.....1217.....राँची / दिनांक–.....05.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1345, दिनांक–22.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–356 / 16 ग्रा0का0वि.....1217.....राँची / दिनांक–.....05.3.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–356 / 16 ग्रा0का0वि.....1217.....राँची / दिनांक–.....05.3.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1028

मा0, स0वि0स0, श्री शशिभूषण सामाड़ द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 72 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर विधान सभा अन्तर्गत NH-75 बांझीकुसुम से झरझरा तक लगभग 22 कि0मी0 (PWD) सड़क काफी जर्जर अवस्था में है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सड़क जर्जर होने के कारण विद्यार्थियों एवं आम जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ; 3. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क जर्जर होने के कारण सड़क निर्माण की माँग को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार आन्दोलन एवं पत्राचार भी कर चुके हैं ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सड़क का निर्माण वित्तीय वर्ष 2016–17 में करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–81/2016 1581(S) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1779 दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह0/- 07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–81/2016 1581(S) राँची/दिनांक : 7/3/16
प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह0/- 07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1029

दिनांक–09.03.2016 को डा0 जीतू चरण राम, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–158

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि काँके विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कांके प्रखण्ड 32 पंचायतों का प्रखण्ड है तथा कुछ पंचायतों की प्रखण्ड से काफी दूरी है;	राँची जिलान्तर्गत काँके प्रखण्ड में कुल 32 पंचायत हैं। कांके प्रखण्ड के उरूगुटू, उपरकोनकी, मालश्रृंग, इचापीडी, पिठौरिया, राडहा, बाढ़ू, कोकदोरो, सतकनादु, उलातु, चन्दवे, हुन्दुर एवं काटमकुली पंचायतें प्रखण्ड मुख्यालय से 8–24 कि0मी0 पर अवस्थित हैं। उक्त पंचायतों की कुल जनसंख्या–82434 है।
2. क्या यह बात सही है कि कांके प्रखण्ड के आम जनता को प्रखण्ड में कार्य कराने के लिए काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक कांके प्रखण्ड कार्यालय से आम जनता के सभी कार्यों को विधिवत् निष्पादित किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कांके प्रखण्ड के पिठौरिया के नये प्रखण्ड के रूप में बनाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार के संकल्प सं0–5495 दि0–16.10.2015 द्वारा प्रखण्डों के गठन/सृजन हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित है। विचाराधीन पिठौरिया प्रखण्ड सृजन के लिए 13 पंचायत एवं जनसंख्या–82434 है, जो प्रखण्ड सृजन हेतु निर्धारित पंचायतों की संख्या 18 एवं जनसंख्या– 1.25 लाख की अर्हता को पूर्ण नहीं करता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–1–वि0स0–15 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1327 राँची, दिनांक– 08·3·16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–1537 दिनांक–25.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/16

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1–वि0स0–15 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1327 राँची, दिनांक– 08·3·16

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/16

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1–वि0स0–15 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1327 राँची, दिनांक– 08·3·16

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–4 को उत्तर सामग्री की 200 प्रतियाँ विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ।

9/3/16

सरकार के अवर सचिव।

1030

मा0, स0वि0स0, श्री रामचन्द्र सहिस द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 66 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि वेलटाँड–रघुनाथपुर पथ का निर्माण वर्षों से लंबित है ;	उपरोक्त पथ का 24.368 कि0मी0 जो पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर के अंतर्गत कार्य कराना था, 20.70 कि0मी0 का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 3.668 कि0मी0 का भाग पथ में पड़नेवाले विभिन्न गाँव के अंतर्गत पड़ता है। गाँव में पूर्व से ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पी0सी0सी0 पथ का कार्य किया गया है। गाँव में सड़क के चौड़ाई हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भाग में पथ का चौड़ीकरण कार्य नहीं किया जा सका है । अवशेष 3.668 कि0मी0 जो भाग गाँव के अन्दर पड़ता है के भू–अजर्न की कार्रवाई होने के उपरांत पथ के चौड़ीकरण का कार्य किया जायगा ।
2. क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा करोड़ो रूपया खर्च करने के बावजूद आज तक जनता को सड़क की चौड़ीकरण की सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है ;	अस्वीकारात्मक । पथ का उपयोग किया जा रहा है । जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वेलटाँड–रघुनाथपुर सड़क का निर्माण कार्य अविलंब पूरा कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर अंतर्गत पथ की लम्बाई 24.368 कि0मी0 में कार्य कराना था । जिसमें 20.70 कि0मी0 कार्य पूर्ण हो चुकी है । शेष 3.618 कि0मी0 का भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत 06 माह के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जायगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–75/2016 1568(5) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1514 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–75/2016 1568(5) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1031

मा0, स0वि0स0, श्रीमती गीता कोड़ा द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 52 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि उग्रवाद प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम जिलान्र्गत झींकपानी टोंटो, बंकी, बुन्डु पथ ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने–आने वाली महत्वपूर्ण पथ है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ जर्जर रहने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झींकपानी, टोंटो, बंकी, बुन्डु पथ का हस्तांतरण, पथ निर्माण विभाग में कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–56 / 2016 1575(S) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1119 दिनांक 17.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–56 / 2016 1575(S) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1032

श्रीमती निर्मला देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–50 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती निर्मला देवी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत केरेडारी प्रखण्ड अन्तर्गत (1) ग्राम–जमीरा से बड़कीटाँड़ तक (2) ग्राम–पहरा से पिण्डरा सकारी तक (3) जमीरा से हेवई भाया छपेरवा तक पथ अतिजर्जर होने के कारण आवागमन बाधित है;	1. आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ को निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	2. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–414 / 16 ग्रा0का0वि.....1221.....राँची / दिनांक–.....05.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1122, दिनांक–17.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–414 / 16 ग्रा0का0वि.....1221.....राँची / दिनांक–.....05.3.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–414 / 16 ग्रा0का0वि.....1221.....राँची / दिनांक–.....05.3.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1033

दिनांक 09.03.2016 को माननीय स०वि०स० डॉ० इरफान अंसारी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला प्रश्न संख्या ग्राम – 89

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत गोडाई नाला मोड़ से किनूडीह भाया बागजोरी जियोजोरी ग्रामीण पथ जर्जर अवस्था में है तथा आवागमन बाधित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2..	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ में पड़ने वाले लगभग सभी ग्राम में आदिवासियों की बहुलता है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त पथ का मरम्मत कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	पी०एम०जी०एस०वाई० के अपग्रेडेशन अन्तर्गत योजना प्रस्तावित है जिसका डी०पी०आर० तैयार किया जा चुका है, भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–312 / 16 ग्रा०का०वि.....1225.....राँची / दिनांक– 05-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–799, दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–312 / 16 ग्रा०का०वि.....1225.....राँची / दिनांक– 05.3-16

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–312 / 16 ग्रा०का०वि.....1225.....राँची / दिनांक– 05.3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मा०), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1034

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–27

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती जोबा मांझी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत गुदड़ी प्रखण्ड के टोन्डेल पंचायत एवं बन्धु पंचायत में स्थित सेरेंगदा और जोजोदा के बीच मुख्य मार्ग में पुलिया का अभाव है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित स्थानों में पुलिया नहीं होने से विशेष कर बरसात के दिनों में आवागमन पूर्णतः ठप हो जाता है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में सेरेंगदा एवं जोजोदा के बीच पुलिया का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अुनशंसा के आलोक में एक पुल पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत आनन्दपुर जीरो कि0मी0 से आनन्दपुर प्रखण्ड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क पर सापु नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य के लिए डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुलिया की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 49/2016/ग्रा0का0 1233 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–627 वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 49/2016/ग्रा0का0 1233 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 49/2016/ग्रा0का0 1233 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

1035

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–41 का उत्तर सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोडा, चाकुलिया प्रखण्ड में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वर्ष 2010 से 2014 के बीच स्वीकृत अधिकतर सड़के अधूरी है एवं बहुत सारी सड़के बनने के बाद भी अत्यंत जर्जर हालत में है तथा चलने लायक नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2..	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जल्द से जल्द अधूरे सड़को के निर्माण कार्य को पूरा करायेगी एवं अत्यंत जर्जर सड़को की विशेष मरम्मति करायेगी, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों?	पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोडा, चाकुलिया प्रखण्ड में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वर्ष 2010 से 2014 के बीच 79 पथों की स्वीकृति मिली है, जिसमें से 21 पथों का कार्य पूर्ण है। अधूरे सड़को का कार्य शीघ्रताषीघ्र पूर्ण किया जायेगा। जहाँ तक पूर्ण सड़को के मरम्मति का प्रश्न है, ये सभी सड़के Routine Maintenance के अन्तर्गत है। इनके Routine Maintenance हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी को निदेशित किया गया है। अगले 15 दिनों के अन्दर Routine Maintenance प्रारंभ नही करने की स्थिति में संवेदक की जमानत राशि जब्त करने की कारवाई की जायेगी, साथ ही कालीसूची में भी डाला जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–275 / 16 ग्रा0का0वि.....1214.....राँची / दिनांक–...05-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–609, दिनांक–12.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–275 / 16 ग्रा0का0वि.....1214.....राँची / दिनांक–...05-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–275 / 16 ग्रा0का0वि.....1214.....राँची / दिनांक–...05-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड,

1036-1076

माननीय विधायक श्री ताला मराण्डी स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय0–23 का उत्तर

क्र.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बोरियो प्रखंड के बोरियो बाजार में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए वर्ष 2013 में जलमीनार निर्माण की स्वीकृति के पश्चात् तीन बार निविदा का प्रकाशन किया जा चुका है;	स्वीकारात्मक। स्थिति यह है कि कार्य वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रारंभ हुआ। बोरियो बाजार एवं आस पास क्षेत्रों में जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति हेतु योजना की स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0 139 (स्वी0) दिनांक–07.01.2015 द्वारा दी गई। साथ ही कार्यादेश भी निर्गत हो चुका है। योजना पूर्ण करने की अवधि 09.09.2017 है। बोरियो जलापूर्ति योजना से 12230 जनसंख्या आच्छादित होगी। उक्त योजना की कुल स्वीकृत राशि मो0 1060.8174 लाख रुपये मात्र है।
2	क्या यह बात सही है कि बोरियो प्रखंड एवं आसपास के गॉव मुहल्ले आर्सेनिक फ्लोराईड क्षेत्र अन्तर्गत आता है तथा इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग ज्यादातर आदिवासी एवं पहाड़िया जाति के हैं, जिन्हें शुद्ध पेयजल नहीं मिलने के कारण कई तरह के पानी जनित होनेवाली बीमारियों से वर्षो से जूझना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। जल नमूनों के जॉच के क्रम में इसकी पुष्टि नहीं होती है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोरियो बाजार के लिए स्वीकृत जलमीनार का निर्माण कार्य एवं प्रदूषित जल से मुक्ति दिलाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–05 /2016 (पेय0) - 444/SWSM- दिनांक 3.3.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 776 वि0स0 दिनांक 14.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–05 /2016 (पेय0) 444/SWSM- दिनांक 3.3.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

NRDWP, Mukesh

1037

श्री शशि भूषण सामाड़, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–162

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री शशि भूषण सामाड़, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर विधान सभा अंतर्गत नकटी पंचायत के इन्द्रवॉ स्थित विजय नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है खण्ड–1 में वर्णित नदी पर पुल नहीं होने से वहाँ के विद्यार्थियों एवं आम जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि स्थानीय लोग कनसरा मंदिर के बायें पथ में 3–4 कि0मी0 की दूरी से घुमकर आवागमन करते है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित नदी पर पुल निर्माण वित्तीय वर्ष 2016–17 में करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल चक्रधरपुर प्रखण्ड के होयोहातु पंचायत अंतर्गत झरझरा– होयोहातु के बीच में बाईडीह टोला के ब्रहामनी नदी पर हाई लेवल पुल निर्माण के लिए डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना चालू वित्तीय वर्ष में संभव नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में माननीय स0वि0स0 द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसा प्राप्त होने पर विभाग द्वारा स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 97/2016/ग्रा0का0 1235 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1777 वि0स0 दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 97/2016/ग्रा0का0 1235 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 97/2016/ग्रा0का0 1235 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

1038

श्री राजकुमार यादव , मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–73 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2004 में पी0एच0ई0डी0 झुमरी तिलैया द्वारा कोडरमा जिला के प्रखण्ड चन्दवारा अन्तर्गत ग्राम–छोटकी धमराय में पेयजल हेतु डीप बोंरिग कराया गया था;	वर्ष 2003–04 में Central Ground water Board के द्वारा पंचायत बड़की धमराय ग्राम छोटकी धमराय जिला कोडरमा में डीप बोरिंग कराया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त डीप बोरिंग का सफल होने का जाँच विभाग द्वारा किया गया है व सफल पाया गया है;	डीप बोरिंग Central Ground Water Board के द्वारा कराया गया है। सफल या असफल का रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2004 से ग्रामीणों को पेयजल हेतु अब तक उक्त डीप बोरिंग से पेयजलापूर्ति योजना चालू नहीं किया गया है;	Central Ground Water Board द्वारा उक्त डीप बोरिंग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया गया है। विभाग द्वारा इस संबंध में सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर वोर्ड से सूचना सम्मलित कर कार्रवाई की जायेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त डीप बोरिंग से शीघ्र पेयजलापूर्ति करने एवं इसके लिए दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7/ ता0 प्र0–01–55/2015 1115 दिनांक :– 8/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1780 दिनांक – 29.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ ता0 प्र0–01–55/2015 1115 दिनांक :– 8/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)
08/03/16

1039

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–79 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत औरमांझी प्रखंड स्थित ग्राम चेतनबारी से कोवालु तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है;	1. अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है;	2. अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में हो रहे सड़क का निर्माण में बरती जा रही अनियमितता को रोकने तथा संवेदक पर जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	3. इस विभाग द्वारा प्रश्नाधीन पथ में निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–306 / 16 ग्रा0का0वि.....1218.....राँची / दिनांक–...05.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–795, दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–306 / 16 ग्रा0का0वि.....1218.....राँची / दिनांक–...05.3.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–306 / 16 ग्रा0का0वि.....1218.....राँची / दिनांक–...05.3.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1040

मा0, स0वि0स0, श्री योगेन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 67 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के ललपनिया चौक से जगेश्वर हिरक पथ 28 कि0मी0 सड़क निर्माण करने की प्रशासनिक स्वीकृति मुख्य अभियंता सी0डी0ओ0 रांची के कार्यालय पत्रांक 1512 / 03.12.2014 को पथ के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग को पत्र निर्गत किया गया था, जबकि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक पथ निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ निर्माण नहीं होने के कारण पथ जर्जर स्थिति में है एवं सैकड़ों लोगों का आवागमन करने में काफी कठिनाई होती है तथा टीवीएनएल, ललपनिया प्रखंड मुख्यालय, अंचल कार्यालय तेनुघाट का मुख्य पथ है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए इसी चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में पथ निर्माण कराने की विचार करती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	वर्त्तमान में उक्त पथ का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। उक्त पथ के पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित होने के उपरांत तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–76 / 2016 1576(1) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को ज्ञापांक 13 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचलित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–76 / 2016 1576(2) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1041

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–107

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला अंतर्गत प्रखण्ड काठीकुण्ड आदिवासी बहुल क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि काठीकुण्ड प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत रिखीया पहाड़ी के ग्राम–रिखीया पहाड़ी से रनुडीह गुमरा नदी पर अबतक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण नहीं कराया गया है ;	वस्तुस्थिति यह है कि इस स्थल के Down Stream में एवं Up Stream में आवागमन के लिए पुल है।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पुल के निर्माण नहीं होने से निर्माण स्थल के अगल–बगल 25 पच्चीसों गाँव के ग्रामीणों को प्रखण्ड मुख्यालय आवागमन में काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है ;	
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचायत रिखीया पहाड़ी से रनुडीह बीच गुमरा नदी पर ग्रामीणों को आवागमन से निजात के लिए उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नही, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल दुमका जिला के काठीकुण्ड प्रखण्ड अंतर्गत हरला नदी पर पहाड़पुर से हरला के (पंचायत–कदमा) के बीच उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक 604 / स्वी0 दिनांक 01.03.2016 द्वारा दी गई है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 79 / 2016 / ग्रा0का0 1238 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–929 वि0स0 दिनांक 16.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 79 / 2016 / ग्रा0का0 1238 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 79 / 2016 / ग्रा0का0 1238 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

1042

मा0, स0वि0स0, श्री जगरनाथ महतो दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के सारूबेड़ा मोड से पिलपीलो मोड़ बेरमो प्रखण्ड तक जोड़ने का एक मात्र मुख्य पथ है, जिसकी दूरी 14 कि0मी0 है ; 2. क्या यह बात सही है कि इस पथ से विभिन्न गाँवों के लोग नवाडीह प्रखण्ड एवं बेरमो प्रखण्ड का आवागमन करते हैं ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 वर्णित पथ को आर0ई0ओ0 विभाग से पी0डब्लू0डी0 विभाग में परिणत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–43 / 2016 1573(5) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 648 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

प0 मु
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–43 / 2016 1573(5) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

प0 मु
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

1043

श्रीमती निर्मला देवी, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–168 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – श्रीमती निर्मला देवी, मां0स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत प्रखण्ड–पतरातू, पंचायत–पीरी के आदिवासी बाहुल ग्राम–पीरी और मसमोहना के बी०पी०एल० धारी 291 लाभुकों के नाम वर्ष 2007 की सूची में दर्ज था।	अस्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में जारी बी०पी०एल० सूची में ग्राम–पीरी और मसमोहना के सभी बी०पी०एल० धारियों का नाम हटा दिया गया है।	अस्वीकारात्मक वर्त्तमान में 2002–07 का ही बी0पी0एल0 सूची चल रहा है। नयी सूची जारी नहीं की गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम–पीरी और मसमोहना के सभी जरूरतमंद परिवारों का नाम पूर्व की तरह बी०पी०एल० सूची में शामिल करने तथा दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 1339 दिनांक 08.3.16

ग्रा0वि0 08–वि0स0–24/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1775/वि0स0 दिनांक 29.02.2016 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/2016
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 1339 दिनांक 08.3.16

ग्रा0वि0 08–वि0स0–24/2016

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/ श्रीमती निर्मला देवी, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/2016
सरकार के अवर सचिव।

1044

मा0, स0वि0स0, श्री (डॉ0) इरफान अंसारी द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 38 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के अन्तर्गत लहरजोरी सीमा से जामताड़ा भाया करमाटाँड़ स्वीकृत पथ निविदा के उपरान्त कार्य आरंभ किया गया, लेकिन पिछले एक साल से काम बंद है जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं आवागमन पूरी तरह से बाधित है ;	जामताड़ा–करमाटाँड़–लहरजोरी पथ के कि0मी0 0.00 से 29.175 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुननिर्माण कार्य संवेदक मेसर्स के0सी0पी0एल0 हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है। यह सही है कि कार्य की प्रगति समानुपातिक नहीं है एवं कार्य की प्रगति धीमी है । इसलिए संवेदक को नया कार्य लेने से Debar (डिबार) किया गया है, ताकि इस कार्य में ही अपने संसाधनों का उपयोग कर कार्य पूर्ण कराया जा सके ।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक समय सीमा निर्धारित कर काम को पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	भू–अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य के साथ कार्य त्वरित गति से सम्पन्न कराया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–40/2016 1577(5) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 766 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–40/2016 1577(5) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

मा0, स0वि0स0, श्री अशोक कुमार द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 41 का उत्तर प्रतिवेदन :– 1045

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग में वर्ष–1989 में नियुक्ति कूल 22 सहायक अभियंता है एवं 26 वर्षों तक सेवाकाल के उपरान्त भी इन्हें प्रोन्नति नहीं दी गई है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है। 01 जनवरी, 2015 तक की रिक्तियों के आधार पर वर्ष 1988 बैच तक के सहायक अभियंताओं को वर्ष 2015 में प्रोन्नति दी गई है। वर्ष 1988 बैच के सम्प्रति 3 (तीन) सहायक अभियंताओं को अभी तक प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है।
2. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग एवं इससे सम्बद्ध विभाग में कार्यपालक अभियंता के लगभग 40 पद रिक्त है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि दिसम्बर, 2015 तक कार्यपालक अभियंताओं के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप मात्र 23 (तेईस) रिक्तियाँ उत्पन्न हुई है। साथ ही, फरवरी, 2016 में अधीक्षण अभियंता के कुल 18 (अठारह) पदों पर दी गयी प्रोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान में कुल 41 (एकतालीस) रिक्तियाँ उपलब्ध हुई है, जिसपर 1988 बैच के बचे तथा 1989 बैच के सहायक अभियंताओं को वरीयता के आधार पर प्रोन्नति संबंधी कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या रिक्त पदो के कारण प्रभावित हो रहे विकास कार्यों को ध्यान में रखकर इनकी प्रोन्नति का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	कंडिका–2 के अनुसार उत्पन्न रिक्तियों के आधार पर रोस्टर क्लीयरेन्स की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–41 / 2016 1589 (3) राँची / दिनांक : 8/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 770 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालन प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी॰ मुर्मू
08/03/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–41 / 2016 1589 (3) राँची / दिनांक : 8/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी॰ मुर्मू
08/03/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1046

मा0, स0वि0स0, श्री जीतू चरण राम द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 53 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि काँके विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत (1) उरूगुटू बाजार से लकारी पुल भाया गुडगुड चुआँ, शितल चुआँ नदी एवं मुरेठा (2) बुढ़मू बैंक मोड से उमेडण्डा भाया चकमे सोसई (3) ठाकुरगाँव बैंक मोड से उमेडण्डा भाया सुरीद बगीचा (4) उमेडण्डा चौक से पतरातु मुख्य पथ तक भाया कण्डेर मोड, बिन्जा एवं छापर अत्यन्त जर्जर पथ होने के कारण आने–जाने वाले आमजनों तथा सुरक्षा कर्मियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथें घनी आबादी वालो क्षेत्र से होकर गुजरती है तथा कई जिलों को जोड़ने वाली पथ है ; 3. क्या यह बात सही है कि इन क्षेत्रों में कृषकों कि संख्या ज्यादा है तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन वर्णित पथों का निर्माण कराना चाहती है, यदि हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–57 / 2016 1572(S) राँची, दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1118 दिनांक 7/3/16 ..2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची.

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–57 / 2016 1572(S) राँची / दिनांक 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/16
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1047

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–62 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद विधान–सभा क्षेत्र के प्रखंड़ हरिहरगंज, पिपरा, मोहम्मदगंज तथा हैदरनगर में जलमिनार द्वारा पाईप लाईन से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है ;	स्वीकरात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थानों पर जलमीनार का निर्माण नहीं कराया गया है;	स्वीकरात्मक ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थानों पर जलमिनार का निर्माण कराकर पाईप लाईन से जलापूर्ति सुनिश्चित कराना चाहती है , यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	हरिहरगंज के दो पंचायतों यथा हरिहरगंज एवं अड़रूवा खुर्द के लिए एक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु DPR तैयार किया जा रहा है, जिसमें हरिहरगंज पंचायत के दो गाँव – हरिहरगंज पूर्वी एवं पश्चिमी तथा अड़रूवा खुर्द पंचायत के अड़रूवा गाँव को मिलाकर 13042 आबादी के लिए योजना प्रस्तावित है। हैदरनगर के निकट में कोई सतही श्रोत उपलब्ध नहीं है जिससे पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण संभव नहीं है। निकटतम सतही श्रोत उत्तरी कोयल नदी लगभग 20 कि0 मी0 दूर है। वर्त्तमान में एक HYDT आधारित योजना कार्यरत है जिसमें 58 गृह संयोजन है। पिपरा प्रखण्ड में भी सतही जलश्रोत यथा निकटतम सोन नदी 40 कि0मी0 दूर रहने के कारण पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण संभव नहीं है। वर्त्तमान में इस क्षेत्र में एक मिनी जलापूर्ति योजना है जिसमें 70 गृह संयोजन है। सतही श्रोत उपलब्ध रहने के कारण मोहम्मदगंज पाईप जलापूर्ति योजना कर DPR तैयार करने हेतु परामर्शी का चयन कर लिया गया है। DPR तैयार होने के उपरांत इसकी स्वीकृति दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7/ ता0 प्र0–01–47/2015 1112 दिनांक :– 8/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1507 दिनांक–25.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ ता0 प्र0–01–47/2015 1112 दिनांक :– 8/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
08/03/16

1048

माननीय विधायक श्री नलिन सोरेन, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय0–75 का उत्तर

क्र0	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के रानेश्वर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम रेशमा पंचायत ताकडंगाल में चार टोला आदिवासी वाहुल्य क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त गांव/पंचायत में मात्र एक चापाकल लगाया गया है, जो खराब होकर बंद पड़ा है;	वस्तुस्थिति यह है कि पंचायत ताकडंगाल अन्तर्गत रेशमा गांव की कुल आबादी 457 है। जिसमें आदिवासी की जनसंख्या 424 है। इस गांव में 4 अदद ड्रील्ड नलकूप है। तीन नलकूप चालू है तथा गांव में एक निजी कूप भी है, इसके पानी का उपयोग ग्रामीण करते है किन्तु एक बन्द नलकूप को इसी वित्तीय वर्ष में चालू कर दिया जायेगा। राष्ट्रीय मानक के अनुरुप तीन चापाकल पर्याप्त है।
3	क्या यह बात सही है कि चापाकल खराब होने के कारण गांव/टोला के ग्रामीणों को पेयजल के लिए काफी तकलीफ झेलना पड़ रहा है;	खण्ड–2 में स्थिति स्पष्ट है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पंचायत के गांव/टोला में डीप बोरिंग कराकर पानी की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि 424 व्यक्ति पर चार चापाकल एवं एक निजी कूप है। राष्ट्रीय मानक के अनुरुप पर्याप्त जलस्रोत उपलब्ध है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–26/2016 (पेय0) – 467/SWSM– दिनांक 8/3/16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 1917 वि0स0 दिनांक 02.03.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–26/2016 (पेय0) – 467/SWSM दिनांक 8/3/16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1045

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–09.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–17 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला मुख्यालय में बस पड़ाव निर्मित है जो बेकार/अनुपयोगी होने के बाद दूसरे स्थान पर पुनः निर्माण कराया जा रहा है, जो सरकारी राशि का दुरूपयोग है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि खूँटी–तमाड़ सड़क के किनारे जिला सत्र न्यायालय कार्यालय के सामने 1.75 एकड़ भूमि पर पूर्व से बस पड़ाव निर्मित है जिसका उपयोग तमाड़ की ओर चलने वाली छोटी गाडियों एवं बसों द्वारा किया जाता है। नगर पंचायत खूँटी द्वारा खूँटी–चाईबासा, राजमार्ग 75E के किनारे मौजा–नामकुम में 2.54 एकड़ भूमि का अधिग्रहण नये बस पड़ाव के लिए किया गया है एवं उक्त भूमि पर चाहरदिवारी का निर्माण किया गया है। नये बस पड़ाव से चाईबासा एवं सिमडेगा की ओर चलने वाली गाडियों का ठहराव प्रस्तावित है। परियोजना का DPR तैयार किया जा रहा है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। उपर्युक्त खण्ड–1 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/वि०स० (तारांकित)–14/2016......973........ राँची, दिनांक– 22/02/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–789/वि०स० दिनांक–14.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/02/16
सरकार के उप सचिव।

1050

श्री मनोज कुमार यादव, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–32 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत चौपारण / ताजपुर में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना निर्माण के लिए स्वीकृति का प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता , पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, हजारीबाग ने ज्ञापांक–507 दिनांक–12.05.2015 द्वारा मुख्य अभियन्ता (मु0) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को भेजा गया जो अब तक लंबित है:	DPR बनाने हेतु EOI आमंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि चौपारण /ताजपुर में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के अभाव में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की असुविधा है:	पेयजल एंव स्वच्छता प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत चौपारण /ताजपुर में ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति पूर्व निर्मित चौपारण पेयजलापूर्ति येाजना से की जा रही है जिसकी क्षमता कम रहने के कारण कई क्षेत्रों में नलकूपों के द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।
3	उपरोक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7/ ता0 प्र0–01–27/2015 1111 दिनांक :– 8/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–781 दिनांक–14.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ ता0 प्र0–01–27/2015 1111 दिनांक :– 8/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
08/03/16

1053

श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–05

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा के महागामा प्रखण्ड अंतर्गत जटामा–मोहनी पथ के बीच ग्राम भैसावरण ठाकुर टोला के पास ग्राम शेखुचक के पास एवं टाकुड़गंगटी प्रखण्ड अंतर्गत समदा से बुधासन पथ के बीच रतियाचक से दलांग के बीच, सड़क में पुलिया निर्माण कराने की आवश्यकता है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित स्थानों पर पुलिया निर्माण नहीं होने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थानों पर आवागमन की सुविधा हेतु पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अुनशंसा के आलोक में गोड्डा जिला के महागामा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम सुकलचक के पास सुन्दर नदी में पुल निर्माण कार्य हेतु डी0पी0आर0 प्राप्त। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नांकित पुलों की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 45/2016/ग्रा0का0 1239 राँची, दिनांक : 08-3-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–367 वि0स0 दिनांक 12.02.16 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 45/2016/ग्रा0का0 1239 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 45/2016/ग्रा0का0 1239 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

1054

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–111 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में पंचायत भवनों के निर्माण पर अब तक 1567 करोड़ की राशि खर्च किए जाने के बावजूद 952 पंचायत भवन का काम अधूरा है ?	आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है किपंचायत भवन का निर्माण मुख्यतः राज्य योजना, बी0आर0जी0एफ0 एवं बी0आर0जी0एफ0–मनरेगा अभिसरण के माध्यम से करवाया गया है । 13वें वित्त आयोग (मद अन्तर्गत आवंटित कुल 1567.58 करोड़) की राशि से पंचायत भवन का निर्माण से संबंधित कार्य योजना नहीं ली गई है ।
(2) क्या यह बात सही है कि नौ जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष के कार्यालय बनाने की राशि का व्यय अन्य कार्यों में कर दिया गया है ।	अस्वीकारात्मक । 13वें वित्त आयोग की राशि के व्यय हेतु वर्षवार अनुमोदित कार्य योजना में जिला परिषद कार्यालय के लिए आधारभूत संरचना निर्माण का प्रावधान किया गया है । जिला परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन किया गया है ।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा निर्माण कार्य पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–1स्था(वि0)–77/2016–811–/, राँची, दिनांकः–8.3.16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 931 दिनांक 16.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–77/2016–811–/, राँची, दिनांकः– 8.3.16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

8/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–77/2016–811–/, राँची, दिनांकः–8.3.16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/3/16
सरकार के अवर सचिव

1055

दिनांक 09.03.2016 को माननीय स०वि०स० श्री हरिकृष्ण सिंह द्वारा सदन में पूछा जाने वाला
प्रश्न संख्या पथ – 68

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री हरिकृष्ण सिंह माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत NH-75 मनिका से बन्दुआ, पूर्वी पल्हेया, पल्हेया, कुरून्द, सरदमदाग,पसागन, खजुरी, कसमार, ताल (पाँकी, पलामू) तक 30 कि0मी0 सड़क का निर्माण नहीं हुआ है।	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2..	क्या यह बात सही है कि NH-75 मनिका, बॉडी, जमुना, पतकी, हुमामारा, घोड़ाकरम, लवागड़ा, कुमाण्डीह, बड़काडीह, हाटा, कुरूमखेता, अमवाटीकर हेतु हुए लामर नाका (छिपादोहर–गारू पथ) तक सड़क निर्माण 32 कि0मी0 नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपर वर्णित दोनों पथ वन अच्छादित, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोनों पथों का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों?	कंडिका 1 में उल्लेखित पथ में से मनिका से बन्दुआ तक (5.50 कि0मी0) राज्य सम्पोषित योजना से वर्ष 2008–09 में पूर्ण कराया गया था। बन्दुआ से नयहारा एवं नयहारा से सरदमदाग होते हुए पसांगन तक पी0एम0जी0एस0वाई0 के द्वादश चरण अन्तर्गत स्वीकृति दी गई है, जिसका कार्य प्रगति में है। कंडिका 2 में उल्लेखित पथ में से पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत दो भागों में (कृल 26.60 कि0मी0) स्वीकृत है, जिसका कार्य प्रगति में है। कार्य शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांकः–05 (वि०स०–12)–408 / 16 ग्रा०का०वि० .....1227..... राँची / दिनांक– 05-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक 1515 दिनांक–25.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–05 (वि०स०–12)–408 / 16 ग्रा०का०वि० .....1227..... राँची / दिनांक– 05-3-16

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–05 (वि०स०–12)–408 / 16 ग्रा०का०वि० .....1227..... राँची / दिनांक– 05-3-16

प्रतिलिपि–प्रषाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

माननीय विधायक श्री आलमगीर आलम, स॰ वि॰ स॰ द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं॰ – पेय 57 का उत्तर

क्रं॰	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बरहरवा एवं पाकुड़ जिला के पाकुड़ प्रखंड के गाँवों में खराब चापाकल के स्थान पर विशेष मरम्मति योजनान्तर्गत चापाकल निर्माण के लिए स्थल चयन वर्ष 2014 में किया गया है, जिस की स्वीकृति लम्बित है;	वस्तुस्थिति यह है कि; 1. A) **बरहरवा प्रखंड** की कुल आबादी 180770 B) बरहरवा प्रखंड की कुल चापाकलों की सं॰ 2028 C) वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 अद्यतन 138 चापाकल नया अधिष्ठापित तथा 400 राईजर पाईप बदलकर चालू किया गया। 1450 चापाकल की साधारण मरम्मति की गई है। D) चालू चापाकलों की कुल सं॰ 1853 E) मानक के अनुसार चापाकल 98 प्रतिव्यक्ति की उपलब्धता पर एक चापाकल है। इसके अतिरिक्त बरहरवा प्रखंड में 919 लाख की लागत से पाईप जलापूर्ति योजना स्वीकृत की गयी है जो अगले दो वर्षो में निर्मित कर ली जायेगी। मार्च 2016 तक 7 अदद् मिनी जलापूर्ति योजनायें भी पूर्ण हो जायेगी। 2. A) **पाकुड़ प्रखंड** की कुल आबादी 282075 B) पाकुड़ प्रखंड की कुल चापाकलों की सं॰ 3445 C) वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 अद्यतन 128 चापाकल नया अधिष्ठापित, 768 राईजर पाईप बदलकर, 6 संरचना परिवर्तन कर, 2810 की साधारण मरम्मति की गई है। D) चालू चापाकलों की कुल सं॰ 3306 E) मानक के अनुसार चापाकल 85 प्रतिव्यक्ति की उपलब्धता पर एक चापाकल है। F) मार्च 2016 तक 6 अदद् मिनी जलापूर्ति योजनायें पूर्ण होगी। राज्य सरकार द्वारा चापाकल पर आत्मनिर्भरता को सतत् घटाने हेतु कृत संकल्पित है। इसी कम में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति एवं मिनी पाईप जलापूर्ति योजना को बढ़ावा देना है। सतत् गिरते भूगर्भ स्तर एवं वर्षा के कमी के कम में ग्राउन्ड वाटर पर निर्भरता कम करना है तथा ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हेतु जागरुकता मनरेगा/योजना बनाओ अभियान में लाया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि बरहरवा एवं पाकुड़ प्रखंड के खराब चापाकल के निर्माण में विलम्ब के कारण क्षेत्र में ग्रामीणों की पेयजल के लिए कठिनाई हो रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि 01.04.2015 के अनुसार पाकुड़ प्रखण्ड में 282075 की आबादी के लिए चालू चापाकलों की संख्या 3306 है जो प्रति 85 व्यक्ति पर एक होता है जो राष्ट्रीय मानक के दर से पर्याप्त है। इसी प्रकार बरहरवा प्रखंड में 180770 की आबादी के लिए चालू चापाकलों की संख्या 1853 है यानि प्रति 98 व्यक्ति पर एक चापाकल है जो राष्ट्रीय मानक के दर से पर्याप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों में उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरहरवा एवं पाकुड़ प्रखंड अंतर्गत विशेष मरम्मति के लिए चयनित सभी चापाकल की मरम्मति वर्ष– 2016 में कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त के कम में स्थिति स्पष्ट है। मानक के अनुरुप कार्रवाई हेतु सभी कार्यपालक अभियंता को लक्ष्य आपदा प्रबंधन की राशि से दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक 8/ वि॰ स॰ (ता0) – 23/2016 (पेय॰) – 465/SWSM राँची, दिनांक 8/3/16

प्रतिलिपिः झारखंड विधान सभा सचिवालय, राँची के पत्र सं॰ 1501 वि0स0 दिनांक 25.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH
8/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक 8/ वि॰ स॰ (ता0) – 23/2016 (पेय॰) 465/SWSM राँची, दिनांक 8/3/16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्र॰ - 5) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH
8/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

1057

मा0, स0वि0स0, श्री जगरनाथ महतो द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत पी0डब्लू0डी0 रोड कोदवाडीह से चन्द्रपुरा आर0ई0ओ0 पथ के द्वारा नावाड़ीह प्रखण्ड और चन्द्रपुरा प्रखण्ड जोड़ने का एक मात्र मुख्य पथ है, जिसकी लम्बाई 16 कि0मी0 है; 2. क्या यह बात सही है कि इस पथ से विभिन्न गाँवों के लोग चन्द्रपुरा प्रखण्ड एवं नावाडीह प्रखण्ड का आवागमन करते हैं ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित पथ को आर0ई0ओ0 विभाग से पी0डब्लू0डी0 विभाग में परिणत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस पथ के हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–39 / 2016 1574(5) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 607 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–39 / 2016 1574(5) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1058

श्री नवीन जयसवाल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–09.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–64 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची नगर के वार्ड सं0–52 के अन्तर्गत हराटांड, हेतु हुण्डूरू एवं छोटा घाघरा एवं वार्ड सं0–38 के पुण्दाग गांव में जलमीनार बना रहा है परंतु उक्त ईलाकों में अभी तक पाईप लाईन जलापूर्त्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही इस दिशा में कार्य चल रहा है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त ईलाकों में पाईप लाईन बिछाकर जलापूर्त्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	राँची शहरी जलापूर्त्ति योजना के पुनर्गठन हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्रवाई मेसर्स NJS Consultants Pvt. Co. Ltd. द्वारा की जा रही है। योजना की संभावित लागत रू0 338.14 करोड़ की है तथा संबंधित परामर्शी को कार्यादेश दिनांक–21.01.2016 को जारी कर दिया गया है। उक्त डी0पी0आर0 के कार्यान्वयन के उपरांत ही उक्त क्षेत्रों में पाईप जलापूर्त्ति संभव हो सकेगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5/न0वि0 (तारांकित)–52/2016 1301 / राँची, दिनांक :– 9/3/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1502, दि0–25.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव। 08/3/16

U.D.D. Hall :/E:/Munni/Letter/Bidhan Sabha -Mu- 175

1059

श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–91

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड अंतर्गत परसबनियाँ पंचायत के बालीचीड़का से सिधाबनी जोरिया पर पुल का निर्माण अत्यंत आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि बलियापुर प्रखण्ड के अंतर्गत सिंदुरपुर पंचायत के खैरबनी से बलियापुर लालडीह पथ पर पुल का निर्माण अत्यंत आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि बलियापुर प्रखण्ड के अंतर्गत परसबनियाँ पंचायत के परसबनियाँ हेट घाट में पुल का निर्माण अत्यंत आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उल्लेखित स्थानों पर पुलों का निर्माण करना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नही, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अुनशंसा के आलोक में एक पुल धनबाद जिला सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र के गोविन्दपुर प्रखण्ड अंतर्गत कुलबेड़ा पंचायत में कुलबेड़ा मंडल टोला से उच्च विद्यालय, यादवपुर पथ पर जोरिया में पुल निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक 595/स्वी0 दिनांक 29.02.2016 द्वारा दी गई है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 70/2016/ग्रा0का0 1240 राँची, दिनांक : 07-3-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–806 वि0स0 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 70/2016/ग्रा0का0 1240 राँची, दिनांक : 07·3-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 70/2016/ग्रा0का0 1240 राँची, दिनांक : 07-3-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

1060

मा0, स0वि0स0, श्री फूलचन्द मण्डल द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 -- ग्राम 88 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा अनुशंसित धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड अन्तर्गत सेरसाकुण्डी–चेलियामा–करगली के बची दामोदर नदी पर पुल का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि इस पुल के निर्माण होने से झारखण्ड एवं बंगाल (दो राज्यों) के बीच की दूरी घटेगी तथा दोनों राज्यों के लोगों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी ;	स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि इस पुल के निर्माण होने हेतु डी0पी0आर0 वर्ष 2013 में ही तैयार किया गया है, परन्तु निविदा निकालने की प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है ;	अस्वीकारात्मक। पथ निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में उक्त पुल का डी0पी0आर0 नहीं तैयार किया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में अविलम्ब कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	विभाग द्वारा डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । डी0पी0आर0 स्वीकृति के पश्चात स्वीकृति एवं कार्यान्वयन की अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–85/2016 1579(5) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 807 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पी० मुमू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–85/2016 1579(5) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पी० मुमू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,

(1061)

श्री चम्पई सोरेन, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–09.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न0–47 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत आदित्यपुर नगर पर्षद के मौजा आसंगी में आदिवासी रैयतों की खाता–138–318, प्लॉट 509/1433, रकवा–20 डिसमिल तथा अनावाद सर्वसाधरण जमीन खाता–350/319, प्लॉट–520/1435, रकवा 3 डिसमील एवं खाता–350/318, प्लॉट–510/1433, रकवा 10 डिसमिल अवैध ढंग से बिल्डरों को आवंटित किया गया है ;	अस्वीकारात्मक है। बिल्डरों को भूमि का हस्तांतरण नगर निकाय द्वारा नहीं किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित भूमि पर बिल्डरों द्वारा बड़े–बड़े इमारत बनाकर गलत ढंग से उपयोग में लाया जा रहा है ;	भूमि हस्तांतरण के अभिलेखों यथा सेलडीड, दाखिल खारिज एवं अद्यतन लगान रसीद के आधार पर भवन प्लान की स्वीकृति नगर निकाय द्वारा विधिवत् की जाती है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित भूमि का जाँच कराकर दोषी बिल्डरों एवं पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई करते हुए आदिवासी रैयतों को तथा आनावाद सर्वधारण जमीन को मुक्त कराना चाहती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5/न0वि0/(तारांकित)–43/2016...1101../ राँची, दिनांक :– 29/02/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1492, दि0–25.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
29/2/16

1062

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–परि–06 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा में एक अन्तर्राजीय बस स्टैण्ड स्थापित हुआ है;	(1) स्वीकारात्मक,
(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त बस स्टैण्ड का चहारदिवारी एवं बस पड़ाव का समतलीकरण एवं पक्कीकरण नहीं होने के कारण यह अभीतक पूर्ण नहीं हो पाया है;	(2) स्वीकारात्मक,
(3) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उसकी चहारदिवारी तथा भूमि समतलीकरण एवं पक्कीकरण की स्वीकृति प्रदान कर कार्यारंभ कराना चाहती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	(3) बहरागोड़ा बस स्टैण्ड की चहारदिवारी, भूमि समतलीकरण एवं पक्कीकरण हेतु प्रस्ताव पर जिला परिषद निर्णय लेने हेतु सक्षम है । इस विषय में जिला परिषद को संसूचित किया गया है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–02/(वि0)–18/2016–810/, राँची, दिनांकः– 8.3.16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 944 दिनांक 16.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –02/(वि0)18/2016–810/, राँची, दिनांकः– 8.3.16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

8.3.16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –02/(वि0)18/2016–810/, राँची, दिनांकः– 8.3.16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.3.16
सरकार के अवर सचिव

(1063)

श्री योगेन्द्र प्रसाद, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–151 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्ता – श्री योगेन्द्र प्रसाद, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	क्या यह बात सही है कि बोकरो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखण्ड के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र झुमरा में Action Plan के तहत् सभी गरीबों को इन्दिरा आवास योजना के तहत् बी0पी0एल0 की अनिवार्यता समाप्त करने से अनुसूचित जाति 706 इकाई अनुसूचित जनजाति में 1956, अल्पसंख्यक कोटि 339 तथा सामान्य/पिछड़ा कोटि के 2908 अर्थात् कुल 5909 इकाई के अहर्ताधारी लाभुक होंगें।	अस्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि जिला द्वारा प्रेषित झुमरा एक्शन प्लान के तहत मात्र 29 इंदिरा आवास इकाईयों की जरूरत प्रतिवेदित की गयी है। उक्त प्रस्ताव में बी0पी0एल की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि यदि बी0पी0एल0 की अनिवार्यता समाप्त नहीं किया जाता है तो झुमरा क्षेत्र में सामान्य/पिछड़ा कोटि में 510 इकाई अहर्ताधारी लाभुक होंगे।	
3.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वित्तीय चालु वर्ष 2015–16 में झुमरा में Action Plan के तहत् बी0पी0एल0 की अनिवार्यता समाप्त करने पर सरकार विचार रखती है, यदि हाँ , तो कब तक, नही तो क्यों ?	इंदिरा आवास योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसकी मार्गदर्शिका में बी0पी0एल0 धारी परिवारों को ही इंदिरा आवास दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में राज्य स्तर से परिवर्त्तन संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 1329 दिनांक 08/03/16

ग्रा0वि0 08–वि0स0–22/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1526/वि0स0 दिनांक 25.02.2016 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2016.
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 1329 दिनांक 08/03/16

ग्रा0वि0 08–वि0स0–22/2016

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2016
सरकार के अवर सचिव।

1064

63

श्री प्रकाश राम, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम– 159 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न–कर्ता – श्री प्रकाश राम माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	उत्तर–दाता – श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के बारियातु प्रखण्ड में मनेरगा से कराये जा रहे कई योजनाओं में घोर अनियमितता बरतते हुए राशि की निकासी की गयी है जिसमें प्रमुखतः नचना ग्राम में होलिकादहन से पक्की सड़क, प्राक्कलित राशि 8.00 लाख निकासी – 1.73 लाख, जुबरा ग्राम में मिथिलेश के क्रेशर से जबरा सिमाना तक (जाँचोपरान्त उप विकास आयुक्त द्वारा स्थगित योजना) निकासी – 1.84 लाख, गाड़ी में तीन मुहान से देवी मंडप तक, निकासी – 2.71 लाख (अभिलेख तक नहीं खुला), नागेश्वर गंझू के घर से नावाडीह तक निकासी – 1.73 लाख (मस्टर रॉल जाली), आंगनबाड़ी से कुसुम नदी तक निकासी – 3.03 लाख है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विषयगत मामले में उपायुक्त, लातेहार के द्वारा अपने पत्रांक – 149 दिनांक 03.3.2016 एवं पत्रांक – 166 दिनांक 05.3.2016 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। सभी पाँच योजनाओं में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :– 1. **नचना ग्राम में होलिका दहन से पक्की सड़क तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण** :– इस योजना में प्राक्कलित राशि रूपये 8.83 लाख थी। मामले के जाँच के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु के द्वारा अवैध रूप से रूपये 2.37168 लाख की निकासी की गयी है। जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त अवैध निकासी की गयी राशि रूपये 2.37168 लाख की वसूली कर ली गयी है। इस मामले में दोषी पाये गये सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निम्नवत् कार्रवाई की गयी है :– (i) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु, मो0 आफताब आलम के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को भेजा गया है। (ii) श्री अभिषेक कुमार, प्रखण्ड नाजीर के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही हेतु स्थापना उप समाहर्त्ता, लातेहार को अनुशंसा की गयी है। (iii) श्री मुकेश कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रखण्ड नाजीर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेश दिया गया है। 2. **मिथिलेश के क्रेशर से जबरा सिमाना तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण** :– इस योजना की जाँच जिला स्तरीय टीम गठित कर करायी गयी। योजना अन्तर्गत् कुल रूपये 1.75 लाख की

	अवैध निकासी की गयी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को भेजा गया है तथा अन्य सभी जिम्मेवार पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करने का निदेश दिया गया है। अवैध निकासी की गयी राशि की वसूली हेतु PDR Act के अन्तर्गत् कार्यवाही हेतु भी निदेश दिया गया है। 3. **गाड़ी में तीन मुहान से लेकर देवीस्थान तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण** :– इस योजना की प्राक्कलित राशि रूपये 8.696 लाख है जाँचोपरान्त योजना में रूपये 2.86 लाख की अनियमितता पायी गयी है। दोषी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को भेजा गया है। उपायुक्त, लातेहार को इस मामले में सभी दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए गबन की गयी राशि की PDR Act के अन्तर्गत् वसूली एवं विभागीय कार्यवाही का निदेश दिया गया है। 4. **नागेश्वर गंझू के घर से नावाडीह तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण** :– उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार का पत्रांक – 149 दिनांक 3.3.2016 के अनुसार योजना की जाँच करायी गयी एवं भुगतान के अनुरूप योजना में कार्य किया हुआ पाया गया। 5. **आंगनबाड़ी से कुसुम नदी तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण** :– उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक – 149 दिनांक 3.3.2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस योजना की जाँच करायी गयी MIS के अनुसार मजदूरी मद में 38,900.00 रूपये एवं सामग्री मद में 2,65,100.00 रूपये का भुगतान किया गया है। प्रथम दृष्टया भुगतान के अनुरूप कार्य किया हुआ पाया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि बारियातु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आफताब आलम द्वारा उपरोक्त योजनाओं की राशि नाजीर से डोंगल लेकर पासवर्ड बदलकर एफ0टी0ओ0 कर योजना की राशि का अनियमित निकासी की गयी है;	उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक – 149 दिनांक 3.3.2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जाँच में पाया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु के द्वारा नाजीर से डोंगल लिया गया है परन्तु उक्त डोंगल से अनियमित निकासी की गयी है इसका सम्यक सत्यापन नहीं हो पाया है।

	इस आरोप पर भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारियातु के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं की जाँच कर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। सभी मामलों में जाँचोपरान्त दोषियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध राशि की वसूली, विभागीय कार्यवाही सहित भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत् आवश्यक कार्रवाई का निर्देश विभागीय पत्रांक – (N) 527 दिनांक 8.3.2016 के द्वारा उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार को दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 11–313/(वि0 स0)/2016/ग्रा0 वि0 –(N) 541 राँची, दिनांक 8.3.2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 1774 दिनांक 29.02.2016 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08.03.16
(घनश्याम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 11–313/(वि0 स0)/2016/ग्रा0 वि0 –(N) 541 राँची, दिनांक 8.3.2016

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा – IV) ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08.03.16
सरकार के अवर सचिव।

1065

श्री सुखदेव भगत, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–09.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पथ–55 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिले में किस्को रोड से बमनडीहा हेतु गंगुपाड़ा तक बाईपास सड़क बनाने का कार्य 2008 में प्रारंभ हुआ था ;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि इस सड़क का निर्माण कार्य विगत 6 वर्षों से बंद है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बाईपास सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कराते हुए पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	सड़क का निर्माण ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (REO) द्वारा किया जा रहा था। वर्त्तमान में कार्य बंद है। उक्त पथ से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भारी वाहनों के आवागमन को देखते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रा0वि0वि0 (ग्रा0 का0 मामले) कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा के ज्ञापांक–1090, दिनांक–23.09.15 द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा से आई0आर0सी0 मानकों के अनुरूप कुछ गुणवत्ता या उच्च कोटि के सड़क के निर्माण हेतु डी०पी०आर० का निर्माण एवं योजना कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड से कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / न0वि0 (तारांकित)–53 / 2016 1298 / राँची, दिनांक :– 8/3/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1194, दि0–18.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/16
सरकार के अवर सचिव।

1066

ी सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–127

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में चालू वित्त वर्ष 2015–16 की अवधि में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत विधायक की अनुशंसा पर निर्मित किये जाने वाले 82 पुलों में से एक भी पुल का निर्माण नहीं कराया गया है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय स0वि0स0 से चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 63 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, उसमें से 40 पुलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 35 पुलों का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा चुका है तथा शेष डी0पी0आर0 का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस लापरवाही के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने एवं विधायक अनुशंसित पुलों के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती गई है, बल्कि प्रक्रियात्मक व्यवहारिक कारणों से विलम्ब हुआ है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 89/2016/ग्रा0का0 1231 राँची, दिनांक : 05-3-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1191 वि0स0 दिनांक 18.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 89/2016/ग्रा0का0 1231 राँची, दिनांक : 05-3-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 89/2016/ग्रा0का0 1231 राँची, दिनांक : 05-3-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

1067

मा0, स0वि0स0, श्री अमित कुमार द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 60 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान–सभा के सिल्ली प्रखण्ड में बिसरिया से मुरी तक सड़क निर्माण करने से रेलवे की जमीन भी पड़ती है ;	स्वीकारात्मक । प्रश्नगत पथ की कुल लम्बाई 2.00 कि0मी0 है जिसका लगभग 1.50 कि0मी0 भाग रेलवे के स्वामित्व वाले भूखण्ड में पड़ती है, एवं 0.5 कि0मी0 ग्रामीण पथ है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर रेलवे से अनुमति लेकर दोनों स्थलों को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	दोनों स्थानों को जोड़ने वाली एक वैकल्पिक पथ है जिसकी लम्बाई 5.00 कि0मी0 है, का उन्नयन किया जायेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–67 / 2016 1580(S) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान--सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1356 दिनांक 22.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

पी० मुमू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–67 / 2016 1580(S) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

पी० मुमू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

~~1058~~ 1068

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–73 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड स्थित सांसद आदर्श पंयायत हहाप में R.E.O द्वारा सड़क निर्माण हेतु टेन्डर निकाला गया था;	वस्तुस्थिति यह है कि बिना स्वीकृत्यादेश के तत्कालीन मुख्य अभियंता के द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त टेन्डर को वर्त्तमान में रद् कर दिया है जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हहाप में सड़क का पुनः टेन्डर कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–305 / 16 ग्रा0का0वि.....1219.....राँची / दिनांक–...05-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–815, दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–305 / 16 ग्रा0का0वि.....1219.....राँची / दिनांक–...05-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–305 / 16 ग्रा0का0वि.....1219.....राँची / दिनांक–...05-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1069

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–157 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड गिद्धौर, पंचायत द्वारी के ग्राम–तिलैया में आई0ए0पी0 योजना से मध्य विद्यालय से छठ तलाब तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कराया जाना था;	(1) स्वीकारात्मक,
(2) क्या यह बात सही है कि स्थल जाँच के क्रम में पी0सी0सी0 पथ को पुनः उखाड़कर गुणवता के अनुरूप कार्य पूर्ण करने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया था;	(2) आंशिक स्वीकारात्मक, वस्तुतः तत्कालीन उपायुक्त, चतरा के द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में प्रश्नाधीन पथ का कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण उक्त पी0सी0सी0 को पुनः उखाड़ कर गुणवत्ता के अनुरूप कार्य पूर्ण करने का निदेश संबंधित कार्य एजेंसी (ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा) को दिया गया ।
(3) क्या यह बात सही है कि संवेदक के द्वारा फिर से पूरे पथ को उखाड़ कर पुनः गुणवता के अनुरूप कार्य पूर्ण करा दिया गया है;	(3) अस्वीकारात्मक। उपायुक्त के पुनः निर्माण के निदेश के आलोक में संवेदक द्वारा कार्य नहीं कराया गया । फलतः ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा द्वारा उपायुक्त, चतरा के निदेश के अनुपालन में शेष कार्य कराया गया ।
(4) क्या यह बात सही है कि संवेदक के द्वारा पूर्ण किये गये पथ कार्य का पूर्ण राशि को भुगतान नहीं किया गया है;	(4) संवेदक को मापीपुस्त संख्या 112/2013 के अनुसार भुगतेय राशि 6,25,681/– रूपये भुगतान कर दिया गया है।
(5) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का विभाग द्वारा जाँच करवाकर संवेदक को शेष राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	(5) उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–02/(वि0)–21/2016– 809 /, राँची, दिनांकः– 8-3-16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1525 दिनांक 25.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –02/(वि0)–21/2016– 809 /, राँची, दिनांकः– 8-3-16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –02/(वि0)–21/2016– 809 /, राँची, दिनांकः– 8-3-16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

1070

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–130

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड के चेलाबेड़ा एवं लुपुंगबेड़ा के बीच "संजय नदी" में जनहित के तहत पुलिया का होना अति आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर पुलिया के नहीं होने से बरसात में आवागमन बाधित होता है ;	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि चेलाबेड़ा एवं लुपुंगबेड़ा के बीच संजय नदी में पुलिया का निर्माण कराने हेतु ग्रामीण जनता वर्षों से संघर्ष एवं आन्दोलनरत है ;	वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नांकित पुल का निर्माण कार्य तैयार कराये गये डी0पी0आर0 के आधार पर प्रारम्भ हो चुकी है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में चेलाबेड़ा एवं लुपुंगबेड़ा के बीच पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?	पुल कार्य का एक एवटमेंट एवं दो पियर का कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 90 / 2016 / ग्रा0का0 1228 राँची, दिनांक : 05.3.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1343 वि0स0 दिनांक 22.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिक हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 90 / 2016 / ग्रा0का0 1228 राँची, दिनांक : 05.3.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 90 / 2016 / ग्रा0का0 1228 राँची, दिनांक : 05.3.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1071

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जानेवाला तासंकित प्रश्न सं0–ग्राम–134 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलांतर्गत खुंटपानी प्रखंड के बड़ा लगिया पंचायत में ग्राम–बड़लगिया चौक से ग्राम–हेस्साबाद तक 5 कि0मी0 सड़क काफी जर्जर अवस्था में है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ जर्जर होने के कारण बरसात के दिनों में स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित में उक्त पथ का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–355 / 16 ग्रा0का0वि.....1216.....राँची / दिनांक–.....05-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1348, दिनांक–22.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–355 / 16 ग्रा0का0वि.....1216.....राँची / दिनांक–.....05-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–355 / 16 ग्रा0का0वि.....1216.....राँची / दिनांक–.....05-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1072

श्री रबीन्द्रनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–144

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रबीन्द्रनाथ महतो, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत कुंडहित प्रखण्ड में जलालपुर और गड़सिमला, अम्बा के बीच नदी में पुल नहीं रहने से वहाँ के ग्रामीणों को बरसात के दिनों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	वस्तुस्थिति यह है कि इस स्थल के Up Stream एवं Down Stream में आवागमन के लिए पुल है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जलालपुर और गड़सिमला के बीच अवस्थित नदी में पुल का निर्माण कराने विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल जामताड़ा जिला के कुण्डहित प्रखण्ड में विक्रमपुर और पाँचकुड़ी ग्राम के बीच हिंगला नदी पर पुल निर्माण कार्य का डी0पी0आर0 प्राप्त। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 96/2016/ग्रा0का0 1237 राँची, दिनांक : 08-3-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1527 वि0स0 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 96/2016/ग्रा0का0 1237 राँची, दिनांक : 08-3-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 96/2016/ग्रा0का0 1237 राँची, दिनांक : 08-3-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

1073

श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–23 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के मझगांव विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत टेंगरा से गौगुटू पथ काफी जर्जर अवस्था में है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ प्रखण्ड मुख्यालय के साथ–साथ जिला मुख्यालय को जोड़ती है, साथ ही हाटगम्हरिया प्रखण्ड को भी जोड़ती है;	2. स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित पथ की स्थिति काफी जर्जर होने के कारण आवागमन में क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतें होती है;	3. स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	4. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–414 / 16 ग्रा0का0वि.....1213.....राँची / दिनांक–.....05-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–274, दिनांक–10.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–414 / 16 ग्रा0का0वि.....1213.....राँची / दिनांक–.....05-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–414 / 16 ग्रा0का0वि.....1213.....राँची / दिनांक–.....05-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1074

माननीय विधायक श्री योगेश्वर महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय0–34 का उत्तर

क्र.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सत्रह (17) करोड़ रुपये की लागत से पंचायत के लोगों को "मल्टी पंचायत ग्रामीण पेयजलापूर्ति की योजना" का लाभ मुख्या एवं जल सहिया के संयुक्त दायित्व के संचालन की नीति के कारण ठीक ढ़ग से नहीं मिल पा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है किः– पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का पत्रांक–4003 दिनांक–20.09.2013 के द्वारा बहु पंचायत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन हेतु दिशा निर्देश निर्गत है। निर्गत पत्र में मल्टी पंचायत ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं का लाभ मुखिया एवं जलसहिया के संयुक्त दायित्व के संचालन की स्थिति स्पष्ट की गई है। पत्र में मार्ग दर्शन स्पष्ट है। राज्य में VWSC द्वारा संचालित चालू ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की संख्या निम्नवत हैः– • NRDWP अन्तर्गत एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना 1628 अदद • राज्य योजना अन्तर्गत बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना 155 अदद • NRDWP अन्तर्गत बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना 06 अदद उक्त के अतिरिक्त राज्य योजना का भी कार्यान्वयन इसी के अनुरुप चल रहा है। इनका अध्ययन डास (DAS India) ENV Devlopment Assistance System Pvt. Ltd. से कराया गया था। कई योजनाओं को अच्छा चलता प्रतिवेदित है। कतिपय में सतत् विद्युत आपूर्ति न होने के कारण, उपभोक्ताओं द्वारा नियमित, सही भुगतान न होने के कारण संचालन में समस्या का जिक है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में भी जन सहयोग/राजस्व वसूली न होना एक समस्या है। प्रति किलो लीटर जलापूर्ति पर लगभग रुपये 2–5/– प्रतिदिन व्यय होता है। जन सहभागिता से संचालन सर्वथा सराहनीय प्रयास है। इस हेतु सतत् क्षमता विकास किया जा रहा है। जन सहभागिता हेतु वित्तीय सहयोग तथा तकनीकी सहयोग विभाग उपलब्ध कराता है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त जनपयोगी योजना मुखिया एवं जलसहिया के आपसी मतभेद के कारण मृतप्राय है। न तो इस योजना का रख–रखाव हो पाता है, न ही फिल्टर किया हुआ पानी प्रतिदिन मिल पाता है। पानी का कनेक्शन लोगों को नहीं दिया जाता और न ही कनेक्शन के लिए हुए उपभोक्ताओं से शुल्क वसूली हो पाती है;	यह प्रश्न किसी योजना विशेष का नहीं है। जन सहभागिता से पेयजलापूर्ति की स्थिति अच्छी है। इसे मजबूत करना आवश्यक है। प्रशिक्षण इत्यादि कार्य देकर PRI/VWSCs इन संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।
3	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नीतिगत निर्णय लेते हुए मुखिया एवं जल सहिया के दायित्व को खत्म कर पेयजल स्वच्छता विभाग या किसी एन0जी0ओ0 को संचालन का जिम्मा देने हेतु नीतिगत निर्णय लेने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–4003 दिनांक–20.09.2013 में स्पष्ट है। कंडिका–2 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–14 / 2016 (पेय0) - 445/SWSM दिनांक 3.3.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 919 वि0स0 दिनांक 16.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि0स0(ता0)–14 / 2016 (पेय0) - 445/SWSM दिनांक 3.3.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

1075

मा0, स0वि0स0, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 63 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी से बेंगाबाद डाक बंगला होते हुए दुमका तक एन0एच0 114 का निर्माण व चौड़ीकरण का कार्य का निर्णय ली गई है ;	राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 114ए के कि0मी0 216.00 (डाक बंगला के समीप) से कि0मी0 244.482 (नया उसरी पुल के समीप) तक पथांश का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य प्रगति में है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित योजना से उक्त क्षेत्र के अनेक लोग प्रभावित होंगे जिसका सीधा प्रभाव उक्त लोगों के जीवन–यापन पर पड़ेगा ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकार जनहित में उक्त क्षेत्र में पड़नेवाले परिवारों के जीवन–यापन की वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	उक्त योजना में भू–अर्जन का प्रावधान सम्मिलित है तद्नुसार प्रभावित रैयतों को भू–अर्जन की राशि दी जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–74/2016 1583(S) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय राँची के ज्ञापांक 1545 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० कुमू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–74/2016 1583(S) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० कुमू
07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1076

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.16 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–165 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग)
1. क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य पथ की सड़कों के निर्माण एन0एच0–1 (NH-1), पी0डब्लू0डी0 (PWD) द्वारा करायी जाती है, जिसमें अधिग्रहण की गई भूमि के बदले किसानों को मुआवजा का भुगतान किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्माण करायी जाने वाली सड़कों के बदले किसानों को मुआवजा भुगतान नहीं किया जाता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पथों के निर्माण कराने में कार्यकारी एजेन्सी आर0ई0ओ0 को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं कई पथों का निर्माण कार्य वाधित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एन0एच0–1 (NH-1), पी0डब्लू0डी0 (PWD) द्वारा बनायी जाने वाली सड़कों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकारी एजेन्सी आर0ई0ओ0 के द्वारा निर्माण करायी जाने वाली सड़कों से प्रभावित किसानों को जमीन के बदले मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भूमि अधिग्रहण हेतु, बजट प्रावधान रखा जाता है एवं आवश्यकतानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–390 / 2016 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).....1226.....राँची, दिनांक.....05-3-16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1776 दिनांक–29.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–390 / 2016 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).....1226.....राँची, दिनांक.....05.3-16

प्रतिलिपि– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–390 / 2016 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).....1226.....राँची, दिनांक.....05.3-16

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

मा0, स0वि0स0, श्रीमती गंगोत्री कुजूर द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 44 का उत्तर प्रतिवेदन :– 1077

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय उच्च पथ 75 राँची–डाल्टनगंज मार्ग का चौड़ीकरण अब तक नहीं हो सका है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार ने राँची से बिजूपाड़ा तक की सड़क के चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव मांगा था ;	स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि राजधानी में कचहरी से लेकर सर्ड तक की सड़क के चौड़ीकरण के लिए टेंडर निकलने के बावजूद अब तक काम नहीं हो सका है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । NH-75 के कचहरी (कि0मी0 0.00) से सर्ड (कि0मी0 3.55) पथांश के चौड़ीकरण की योजना केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 8.11.2012 को स्वीकृत की गई थी । इस योजना की निविदा प्रकाशित की गई, परन्तु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली से पथ परियोजना की लम्बाई बढ़ाकर पुनः DPR समर्पित करने का निदेश प्राप्त होने के कारण निविदा आमंत्रण रद्द हो गई । पुनः NH-75 के कचहरी–बिजुपाड़ा–कुडू 55 कि0मी0 पथांश के 4–लेनिंग का प्राक्कलन तद्नुरूप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली, में स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क की चौड़ीकरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	NH-75 के शेष पथांश कुडू–लातेहार–डाल्टनगंज –गढ़वा–यू0पी0 सीमा (लम्बाई 205 कि0मी0) के 4–लेनिंग का DPR योजना एवं अन्वेषण प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, राँची द्वारा तैयार किया जा रहा है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–50 / 2016 1570(5) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 923 दिनांक 16.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–50 / 2016 1570(5) राँची / दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

07/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

1078

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–09.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न0–45 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज प्रखंड झारखण्ड तथा बिहार राज्य की सीमा पर अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित हरिहरगंज को नगर पंचायत नहीं बनाया गया है ;	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज प्रखंड को नगर पंचायत बनाने की घोषणा करना चाहती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज प्रखंड को नगर पंचायत के रूप में गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–8 / तारांकित–112 / 2016 / न0वि0 1095 राँची, दिनांक :– 29/02/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1494, दि0–25.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/02/16
सरकार के उप सचिव।

1079

श्री केदार हाजरा , मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–47 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1	क्या यह बात सही है कि जमुआ प्रखण्ड मुख्यालय में पेयजल का कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है ?	जमुआ प्रखण्ड मुख्यालय में पेयजल हेतु छः अदद चापाकल चालू अवस्था में है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में प्रखण्ड मुख्यालय में कर्मचारियों एवं आम जनों को पेयजल हेतु परेशानी का सामना करना पड़ता है ?	जमुआ प्रखण्ड मुख्यालय में अधिष्ठापित किये गये छः चापाकल चालु है। लगभग 50 कर्मचारी तथा लगभग 250 आम जनता प्रतिदिन इन छः चापाकलों के पानी का उपयोग करते है जो पर्याप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आने वाली भीषण गर्मी के मद्देनजर रखते हुए खण्ड 1 में उधृत प्रखण्ड मुख्यालय में शुद्ध पेयजलापूर्ति हेतु कारगर कदम उठाने का विचार रखती है , यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	प्रखण्ड मुख्यालय जमुआ में शुद्ध जलापूर्ति हेतु लघु ग्रामीण जलापूर्ति का कार्य चल रहा है। अप्रैल 2016 में जलापूर्ति चालु कर दी जाएगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृति है। इससे प्रखण्ड मुख्यालय में पाईप जलापूर्ति की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7/ ता0 प्र0–01–38/2015 1103 दिनांक :– 4/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1127 दिनांक – 17.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ ता0 प्र0–01–38/2015 1103 दिनांक :– 4/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
04/03/16

जीर्णोद्धार पर विचार ।

उत्तर अद्रित

*1080. श्री दशरथ गागराई--क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत (कोल्हान एवं पोड़ाहाट क्षेत्र में) मानकी-मुण्डा विश्रामगृह चाईबासा, जगन्नाथपुर, बेनीसागर, मनोहरपुर, हाटगम्हरिया, भरभरिया तथा कोकची आदि स्थानों पर कोल्हान सरकारी डाक बंगला निर्मित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी डाक बंगला सरकार की सम्पत्ति है;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान समय में कई डाक बंगला जीर्णोद्धार (मरम्मती) के अभाव में टूटने के कगार पर है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस महत्वपूर्ण धरोहर को सुरक्षित रखने हेतु जनहित में जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री उत्तर- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवश्यकता व प्राथमिकता के आधार पर बजट उपबंध के अनुरूप जीर्णोद्धार/विशेष मरम्मती/पुनर्निर्माण के संबंध में विचार किया जायेगा ।

1081

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–09.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न0–40 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सात निकायों जैसे–राँची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, गिरिडीह एवं हजारीबाग इत्यादि जिलों का चयन अमृत योजना हेतु की गई है जिसका डीपीआर बनकर तैयार है ;	स्वीकारात्मक है। उक्त सभी निकायों में अमृत योजना के लिए वर्ष 2015–16 का राज्य वार्षिक एक्सन प्लान तैयार कर शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था जिसपर स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित जिलों में गिरिडीह, आदित्यपुर एवं हजारीबाग का अबतक निकाय बनाने की अधिसूचना सरकार द्वारा लंबित है जिसके कारण उक्त जिलों को उक्त योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुतः योजना के अन्तर्गत चयनित सभी सात निकाय पूर्व से ही अधिसूचित हैं। आदित्यपुर नगर परिषद को अधिसूचना संख्या–2093 दिनांक–15.06.15 तथा हजारीबाग नगर परिषद को अधिसूचना संख्या–167 दिनांक–11.01.16 द्वारा नगर निगम घोषित किया गया है। गिरिडीह नगरपालिका की स्थापना 1902 ई0 में हुई है तथा 2008 से यह नगर परिषद के रूप में कार्यरत है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित योजना का लाभ सिर्फ निकाय क्षेत्रों में ही देने का प्रावधान है ?	स्वीकारात्मक है। अमृत योजना का कार्यान्वयन मात्र नगर निकाय क्षेत्रों में ही करने का प्रावधान है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित खण्ड–1 में जिलों का चालू वित्तीय वर्ष में ही निकाय बनाने से संबंधित अधिसूचना निर्गत करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	योजना के अन्तर्गत चिन्हित निकाय पूर्व से ही नगर निकाय के रूप में अधिसूचित हैं।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / वि0स0(तारांकित)–33 / 2016....1092/ राँची, दिनांक :– 29/02/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1353, दि0–22.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
29/2/16

U.D.D. Hall :/E:/Munni/Letter/Bidhan Sabha -Mu- 156

1082

श्री केदार हाजरा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–150

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री केदार हाजरा, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के फुफन्दी तथा नारोबाद के बीच उसरी नदी पर वर्ष 2013 से ही पुल का निर्माण कराया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि संवेदक एवं विशेष प्रमण्डल के अभियंताओं की लापरवाही के कारण अबतक पुल का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। (वस्तुस्थिति यह है कि संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। पुल से होकर आवागमन चालू है।)
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विलंब के लिए दोषी संवेदक एवं अभियंता पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए पुल निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं, तो क्यों ?	पुल निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। एकरारित अवधि तक पुल निर्माण पूर्ण नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा में निहित शर्तों के अधीन संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 95/2016/ग्रा0का0 1230 राँची, दिनांक : 05-3-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1519 वि0स0 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 95/2016/ग्रा0का0 1230 राँची, दिनांक : 05-3-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 95/2016/ग्रा0का0 1230 राँची, दिनांक : 05-3-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

1084

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–09.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–53 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची के राँची शहरी क्षेत्रों से हो कर प्रवाहित नदियों को स्वच्छ बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलायी जा रही है ;	स्वीकारात्मक है। राँची शहर से होकर प्रवाहित होने वाली नदियों को स्वच्छ बनाये रखने के लिए ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं सिवरेज ड्रेनेज योजनाओं को कार्यान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के विपरीत राँची शहर के सभी सरकारी ओर निजी मोहल्लो के नालों और शौचालयों से निकलने वाली पानी को बैगर शोधन के ही इन नदियों में प्रवाहित होने दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 2 के कारण यह नदियाँ लगातार प्रदूषित हो रही है, परिणामस्वरूप नदियों का पानी जानवर भी नहीं पी पा रहें है;	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब उक्त विषय पर समुचित कार्रवाई करने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हरमू नदी के जीर्णोद्धार का कार्य नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जुडको लि० के माध्यम से रू० 85.4 करोड़ की योजना अन्तर्गत कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत नदी के दोनो तरफ नाली एवं सिवर लाईन बिछायी जा रही है। इसके अधीन गंदे जल को शुद्ध करने के लिए 8 अदद सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लांट जिसकी क्षमता 11.5 MLD है, का निर्माण कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सुवर्णरेखा नदी के जीर्णोद्धार हेतु डी०पी०आर० बनाने के लिए परामर्शी का चयन कर लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

ज्ञापांक–5/वि०स० (तारांकित)–50/2016......1302...... राँची, दिनांक– ...8/3/16.......

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1978/वि०स० दिनांक–03.03.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/03/16
सरकार के अवर सचिव।

1085

श्रीमती जोबा माझी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–26 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती जोबा माझी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मनोहरपुर विधान सभा के आनन्दपुर प्रखण्ड में स्थित रोबोकेड़ा पुटुंगा होते हुए गुलु बहदा तक की सड़क अति जर्जर अवस्था में है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क की मरम्मति के अभाव में आम जन जीवन त्रस्त है;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त सड़क को मरम्मति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मरम्मति मद में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः प्रश्नाधीन पथ का मरम्मति कार्य तत्काल लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–278 / 16 ग्रा0का0वि.....1915.....राँची / दिनांक–...05-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–643, दिनांक–12.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–278 / 16 ग्रा0का0वि.....1915.....राँची / दिनांक–...05.3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–278 / 16 ग्रा0का0वि.....1915.....राँची / दिनांक–...05.3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनाकं–09.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–31 की उत्तर सामग्री :– 1086

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग)
1. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष–2015–16 में बनने वाली राज्य कि सभी सड़कों में G.S.B. में लोकल मोरम को हटाकर क्रशर डस्ट एवं स्टोन चिप्स का निर्माण में प्रावधान किया गया है, जिसकी अनुपलब्धता के कारण विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है;	सड़कों की गुणवत्ता एवं मजबूती के लिए GSB में लोकल मोरम को हटाकर क्रशर डस्ट एवं स्टोन चिप्स का प्रावधान ग्रामीण सड़कों के निर्माण में किया गया है, किसी भी कार्य प्रमंडल से इस प्रावधान के कारण कार्य प्रभावित होने की सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्दर संचालित बहुत सारे स्टोन क्रेशर, क्रेशर निर्माण की मानकों को पुरा नहीं कर पाने के कारण बंद पड़े हैं, जिससे वर्त्तमान प्रावधान किये गये सामग्री का मिलना मुश्किल हो रहा है;	सामग्री के अनुपलब्धता के संबंध में किसी कार्य प्रमंडल द्वारा सूचना नहीं दी गई है।
3. यदि उपर्युक्त ' खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निर्माणाधीन सड़कों में पूर्व की भाँति लोकल मोरम का उपयोग कर विकास कार्यो में तेजी लाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	GSB सामग्री की अनुपलब्धता से संबंधित यदि कोई सूचना संबंधित कार्य प्रमंडलों से प्राप्त होता है तथा वांछित गुणवत्ता एवं ग्रेड का लोकल मोरम उपलब्ध होता है तो इसके प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–268 / 16 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).....1054.....राँची, दिनांक..25-2-16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–633 दिनांक 12.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–268 / 16 ग्रा0वि0वि0.(ग्रा0का0मा0).....1054.....राँची, दिनांक..25-2-16

प्रतिलिपि– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–268 / 16 ग्रा0वि0वि0.(ग्रा0का0मा0).....1054.....राँची, दिनांक..25-2-16

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1087

मा0, स0वि0स0, श्री विरंची नारायण द्वारा दिनांक 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – ग्राम 36 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो को चन्द्रपुरा से जोड़ने वाले स्थान पर दामोदर नदी पर करोड़ों रूपये की लागत से वर्ष 2004–05 से पुल बन कर तैयार है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल पर संपर्क पथ न होने से करोड़ों रूपये की लागत से बना यह पुल बेकार साबित हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब उक्त पुल पर संपर्क पथ का निर्माण कराकर बोकारो और चन्द्रपुरा के मध्य आवागमन चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का कार्य प्रक्रियाधीन है । पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत पथ निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–84/2016 1571(S) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 632 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
07/03/2016

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–84/2016 1571(S) राँची/दिनांक : 7/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी० मुर्मू
07/03/2016

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1088

झारखंड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न नं0–10 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर, पलामू के शहरी क्षेत्र नावाहाता स्थित डोमटोली मुहल्ला में आवासीय गरीब हरिजन व्यक्तियों के आवासित कराने के पहले अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया गया है जिससे वे फुटपात पर आ गये हैं?	स्वीकारात्मक है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् मेदिनीनगर द्वारा वर्ष 2013 में अतिक्रमण हटाया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त स्थान से उजाड़े गये गरीब परिवार के लोगों को बसाने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है?	अस्वीकारात्मक है। उक्त स्थान से उजाड़े गये गरीब परिवार के लोगों को बसाने के लिए चैनपुर अंचल के शाहपुर ग्राम में गृहस्थल के रूप में सरकारी गैरमजरूआ मालिक भूमि की बन्दोबस्ती की गई है। बन्दोबस्ती पर्चा प्राप्त करने के बावजूद भी वे लोग उक्त स्थल पर निवास नहीं कर रहे हैं।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वैसे गरीब गृहविहीन लोगों को बसाने हेतु आवासित करने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अतिक्रमण के दौरान हटाये गये लोगों के आवास हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है।

04/03/16
(मनीषा जोसेफ तिग्गा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–8 / तारा0 / 103 / 2016 / न0वि0 1235 **राँची, दिनांक–** 04/03/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा के पत्रांक–593 वि0स0, दिनांक–12.02.16 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

04/03/16
(मनीषा जोसेफ तिग्गा)
सरकार के उप सचिव।

1089

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–80

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखण्ड के कोनहरकला एवं कोनहरा खुर्द के बीच बरदबोही नदी पर पुल निर्माण लगभग सात–आठ वर्षों से अधूरा पड़ा है ;	स्वीकारात्मक है। (वस्तु स्थिति यह है कि इस पुल का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत नहीं कराया गया है।)
2. क्या यह बात सही है कि अधूरे पुल होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस अधूरे पड़े पुल के पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट उपबंध नहीं रहने के कारण इसकी मरम्मति/नव निर्माण संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 66/2016/ग्रा0का0 1223 राँची, दिनांक : 05.3.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–802 वि0स0 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ इकराम)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 66/2016/ग्रा0का0 1223 राँची, दिनांक : 05.3.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 66/2016/ग्रा0का0 1223 राँची, दिनांक : 05.3.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

1890

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 09–03–2016 को श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–17 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता **श्री मनीष जायसवाल** **माननीय स०वि०स०**		*उत्तर* **श्री सी० पी० सिंह** **माननीय मंत्री परिवहन, झारखण्ड सरकार**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के कुछ जिलों में झारखण्ड वातानुकूलित द्रुतगामी बस सेवा का प्रारंभ उक्त जिलों के ही सरकारी बस स्टैंडों से की जाने के साथ–साथ उक्त बसों का रख रखाव की व्यवस्था भी उक्त स्टैंड संचालकों द्वारा ही की जा रही है;	–	**आंशिक स्वीकारात्मक है।** बसों का रख रखाव बस स्वामी द्वारा किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्दर बसों के आवागमन की दूरी अधिक–से–अधिक 450/– कि०मी० प्रति दिन निर्धारित होने के साथ–साथ उक्त स्टैंडों में बसों के रख–रखाव हेतु कर (शुल्क) निर्धारित होने के बावजूद बस संचालकों द्वारा प्रतिदिन मनमानी दूरी तय करने के साथ–साथ बसों के रख–रखाव पर कोई कर या शुल्क नहीं दी जा रही है, जिससे जान–माल पर खतरा व राजस्व की क्षति हो रही है;	–	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य की राजधानी राँची से अन्य जिलों में वातानुकूलित डीलक्स बस सेवा का शुभारंभ दिनांक–15.11.2015 को किया गया है। इसके लिए 450/– कि०मी० की दूरी निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि निकटवर्ती जिलों के लिए दो खेप एवं दूरस्थ जिला के लिए एक खेप आने–जाने का दिशा–निर्देश दिया गया है। द्रुतगामी ए०सी० बस सेवा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आमजनों के बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु फिलहाल सरकारी बस पड़ाव से इसका संचालन किया जा रहा है तथा सरकारी बस पड़ाव में प्रत्येक प्रवेश में वातानुकूलित बसों से 150/– रूपये की वसूली का निदेश निर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित व राज्यहित में खण्ड–01 में वर्णित बसों का परिचालन नियमानुसार कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	–	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०)–47/2016 2114 **/राँची,दिनांक** 08-03-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्रांक–1490 दिनांक 25.02.2016 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

8/3/16
संयुक्त सचिव

1091

श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान–सभा द्वारा दिनांक– 09.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 53 का उत्तर :–

क्र0	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान–सभा के हारिण पंचायत के बांकू में वर्ष 2006–07 में निर्मित जलमीनार से सिर्फ एक वर्ष ही पानी की आपूर्ति की गयी;	यह योजना राज्य योजना अन्तर्गत है। इसकी प्राक्कलित राशि रूपये 17.70 लाख (सत्रह लाख सत्तर हजार रूपये) तथा एकरारनामा की राशि रूपये 19.45 लाख (उन्नीस लाख पैंतालीस हजार रूपये) थी। भुगतान रूप्ये 16.54 लाख (सोलह लाख चौवन हजार रूपये) की गई है। वस्तुस्थिति यह है कि योजना का कियान्वयन 2007–08 में प्रारंभ किया गया था एवं 2008–09 में आंशिक जलापूर्ति की गयी थी। संवेदक द्वारा कतिपय अवयवों का कार्य अधूरा एवं विशिष्टियों के अनुरूप नहीं किये जाने के कारण भुगतान रोका गया था जिसके विरूद्ध संवेदक को काली सूची में डाला गया। विभिन्न पहलू की जाँच मुख्य अभियंता(पी0एम0यू0) सह–कार्यकारी निदेशक में त्रुटिया प्रतिवेदित की थी। तद्नुसार कार्रवाई की गई थी। इसके विरूद्ध संवेदक द्वारा न्यायालय में वाद दायर WP(c)- 5129/2013 किया गया जिसका न्यायादेश दिनांक– 30.09.2015 को पारित है। इस कम मुख्य अभियंता(सी0डी0ओ0) द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्य अभियंता(सी0डी0ओ0) के पत्रांक– 13(CDO) दिनांक– 12.11.2015 आदेश निर्गत है। उक्त योजना को चालू करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारीयों को आकलन कर प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया है। स्त्रोत की सस्नेटविलटी भी सत्यापित करना है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल की मशीन ठीक है परन्तु यहाँ की पाईप फटी हुई है तथा यहाँ बिजली का अभाव है;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर पेयजल आपूर्ति में आनेवाली बाधाओं को दूर करते हुए शीघ्र जलापूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–41/2015– 1114 राँची, दिनांक :– 8/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 1336 दिनांक– 22.02.2016 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–41/2015– 1114 राँची, दिनांक :– 8/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

(सुरेश प्रसाद)

1092

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–09.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–81

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि बरकट्ठा विधान–सभा क्षेत्र के चलकुशा प्रखण्ड अंतर्गत सलैयाडीह एवं खैराटांड के बीच बरसोती नदी अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सलैयाडीह एवं खैराटांड के बीच उपरोक्त नदी पर पुल का अभाव है, जिस कारण लोगों को काफी असुविधा हो रही है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित नदी पर पुल का निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	1. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल हजारीबाग जिला के प्रखण्ड बरकट्ठा के पंचायत मनैईया/बरकनगांगो, ग्राम– मनैईया, पुरनीटांड, जतघघरा के बीच बराकर नदी परु पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। 2. सीमित बजट उपबंध रहने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 67/2016/ग्रा0का0 1236 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–803 वि0स0 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16

(आसिफ हसन)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 67/2016/ग्रा0का0 1236 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/16

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 67/2016/ग्रा0का0 1236 राँची, दिनांक : 08.3.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/16

सरकार के उप सचिव

1093

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–84 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री पौलुस सुरीन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के नामकुम, खिजरी, सिरखा टोली, तुम्बागुटू में सैनिक कैम्प एवं सरकारी कार्यालय जैक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद जैसी कार्यालय है? इन सरकारी कार्यालय के अधिकारियों को विमानपत्तन आने के लिए सड़क एवं पूल के अभाव में 20–25 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है;	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी कार्यालय से विमानपत्तन भाया छोटा घाघरा होते हुए स्वर्ण रेखा नदी में पूल एवं सड़क बनने से विमानपत्तन की दूरी लगभग 5–6 कि0मी0 हो आएगी'	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ एवं पूल का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	3. चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ/पुल वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–307/16 ग्रा0का0वि.....1220.....राँची/दिनांक–.....05.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–798, दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–307/16 ग्रा0का0वि.....1220.....राँची/दिनांक–.....05.3.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–307/16 ग्रा0का0वि.....1220.....राँची/दिनांक–.....05.3.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1094

श्री ताला मराण्डी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–09.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न0–51 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बोरियो विधानसभा में जिरवावाड़ी, बड़ा पचगढ़, चानन, कबूरखेपी, सकरोगढ़, केलावाडी, इमली टोला को नगरपालिका का दर्जा प्राप्त है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 वर्णित स्थानों में रहने वाले आम जनता को सड़क की सुविधा, पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण कार्य एवं बिजली की सुविधा अबतक नहीं की गई है ;	अस्वीकारात्मक है। वर्णित स्थानों पर सरकार द्वारा प्रदत्त आवंटन के आधार पर सड़क, नाली, रौशनी (एल0ई0डी0) की समुचित व्यवस्था की गई है। नगर निकाय के सभी 28 वार्डों में बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त कर योजनाओं की निविदा प्रकाशित की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित मुहल्लों में सड़क, बिजली, पेयजल एवं पानी की निकासी हेतु पक्की नाली की निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / न0वि0 (तारांकित)–48 / 2016 1268 / राँची, दिनांक :– 05/03/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1771, दि0–29.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.3.16
सरकार के अवर सचिव।